



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 13 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 23, 1948 शक संवत्) [संख्या 24

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	307—314	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	395—444	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1157-1205	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

27 फरवरी, 2024 ई०

सं० 196/दो-1-2023-19/1(4)/2010—उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 29 फरवरी, 2024 को अपराह्न में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे—

- 1— श्री हेमन्त राव, आई०ए०एस० (आर०आर०-1987), अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2— श्री सुधीर गर्ग, आई०ए०एस० (आर०आर०-1990), अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
- 3— श्री राम यज्ञ मिश्र, आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2010) विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
- 4— श्री राम नारायण सिंह यादव, आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2012) विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
- 5— श्री संतोष कुमार, आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2012) संभागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

30 अप्रैल, 2024 ई०

सं० 400/दो-1-2024-19/1(4)/2010—भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश, संवर्ग के अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव, आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2009), विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को अपराह्न में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

29 मई, 2024 ई०

सं० 465/दो-1-2024-19/1(4)/2010—उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 मई, 2024 को अपराह्न में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे—

- 1— श्री महेश कुमार गुप्ता, आई०ए०एस० (आर०आर०-1987), अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
- 2— श्रीमती अनीता सिंह, आई०ए०एस० (आर०आर०-1990), अपर मुख्य सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3— श्री योगेश्वर राम मिश्र, आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2005), आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोंडा।
- 4— श्री राकेश कुमार मिश्र, आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2012), विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

06 जून, 2024 ई०

सं० I/663628/2024—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-14014/22(1)/2022-AIS-I, दिनांक 12 मार्च, 2024 के माध्यम से सेलेक्ट लिस्ट-2020 के सापेक्ष राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत निम्नलिखित आई०ए०एस० अधिकारियों को वर्ष 2015 के स्थान पर 2014 बैच आवंटित किया गया है—

- 1— श्री श्याम बहादुर सिंह
- 2— श्री पवन कुमार गंगवार
- 3— श्री बृजेश कुमार
- 4— श्री हरिकेश चौरसिया
- 5— श्री महेन्द्र सिंह
- 6— श्री रविन्द्र पाल सिंह
- 7— श्री अनिल कुमार (स्व०)

2— उपरोक्त क्रमांक-1 से 6 पर अंकित अधिकारियों को पूर्व में 2015 बैच आवंटित होने के कारण नियुक्ति अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश, शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-1008/दो-1-2023, दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 के माध्यम से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) पे मैट्रिक्स लेवल-12 दिनांक 01 जनवरी, 2024 से स्वीकृत किया गया था। श्री अनिल कुमार का निधन दिनांक 26 जनवरी, 2023 को हो गया था।

3— कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-14014/22(1)/2022-AIS-I, दिनांक 12 मार्च, 2024 के माध्यम से प्रस्तर-1 में उल्लिखित समस्त अधिकारियों को वर्ष 2015 के स्थान 2014 बैच आवंटित किये जाने के कारण उपरोक्त समस्त अधिकारियों को अब दिनांक 01 जनवरी, 2023 से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) पे मैट्रिक्स लेवल-12 प्रदान किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

सं० I/663630/2024—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-14014/22(2)/2022-AIS-I, दिनांक 12 मार्च, 2024 के माध्यम से सेलेक्ट लिस्ट-2015 के सापेक्ष राज्य सिविल सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत निम्नलिखित आई०ए०एस० अधिकारियों को वर्ष 2010 के स्थान पर 2009 बैच आवंटित किया गया है—

- 1— श्री इन्द्र विक्रम सिंह
- 2— डा० हीरा लाल
- 3— श्री राम यज्ञ मिश्र (से०नि०)
- 4— श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह
- 5— श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव
- 6— श्री राकेश कुमार सिंह
- 7— श्री फैसल आफताब (से०नि०)
- 8— श्री दीप चन्द्र (से०नि०)
- 9— श्री अमर नाथ उपाध्याय
- 10— डा० अनिल कुमार सिंह
- 11— श्री साहब सिंह
- 12— श्री श्रीश चन्द्र वर्मा (से०नि०)
- 13— स्व० सुशील कुमार मौर्य
- 14— श्री मानवेंद्र सिंह
- 15— श्री अटल कुमार राय
- 16— श्री नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

2— उपरोक्त समस्त अधिकारियों को पूर्व में 2010 बैच आवंटित होने के कारण नियुक्ति अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-6375/दो-1-2019-19/1(8)/2006 टी०सी० दिनांक 01 जनवरी, 2019 के माध्यम से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) पे मैट्रिक्स लेवल-12 दिनांक 01 जनवरी, 2019 से स्वीकृत किया गया था।

3— कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-14014/22(2)/2022-AIS-I, दिनांक 12 मार्च, 2024 के माध्यम से प्रस्तर-1 में उल्लिखित समस्त अधिकारियों को वर्ष 2010 के स्थान पर 2009 बैच आवंटित किये जाने के कारण उपरोक्त समस्त अधिकारियों को अब दिनांक 01 जनवरी, 2018 से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) पे मैट्रिक्स लेवल-12 प्रदान किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
धनंजय शुक्ला,
विशेष सचिव।

सेवानिवृत्ति

30 जून, 2024 ई०

सं० 587/दो-1-2024-19/1(4)/2010—भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के अधिकारी, श्री दुर्गा शंकर मिश्र, आई०ए०एस० (आर०आर०-1984), मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30 जून, 2024 को अपराह्न में सेवानिवृत्त हो रहे हैं—

सं० 588/दो-1-2024-19/1(4)/2010—भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के अधिकारी, श्रीमती एस० राधा चौहान, आई०ए०एस० (आर०आर०-1988), सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, भारतीय प्रशासनिक सेवा से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30 जून, 2024 को अपराह्न में सेवानिवृत्त हो रही हैं—

27 अगस्त, 2024 ई०

सं० I/726701/2024—उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 अगस्त, 2024 को अपराह्न में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे—

1— डा० रजनीश दुबे, आई०ए०एस० (आर०आर०-1988), अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2— श्री जगदीश प्रसाद, आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2009), सचिव, राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

27 सितम्बर, 2024 ई०

सं० 819/दो-1-2024-19/1(4)/2010—उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30 सितम्बर, 2024 को अपराह्न में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे—

1— श्री नितिन रमेश गोकर्ण, आई०ए०एस० (आर०आर०-1990), अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।

2— श्री अनिल कुमार, आई०ए०एस० (एस०सी०एस०-2009), प्रभारी आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
विजय कुमार
विशेष सचिव।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति/तैनाती

06 फरवरी, 2024 ई0

सं0 40/2024/65-1099/33/2023-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के आधार पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के पद पर चयनित एवं नियुक्त हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रस्तुत किये गये स्वः सत्यापन/घोषणा-पत्र के आधार पर कार्यग्रहण ग्रहण करने की तिथि से जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में अस्थाई रूप से नियुक्त करने हेतु 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-

अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पत्राचार/स्थाई पता	गृह जनपद	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5
सुश्री माधवी पाण्डेय	श्री अलख निरंजन पाण्डेय	श्री अलख निरंजन पाण्डेय, गौरखास जगतबेला, गोरखपुर उ0प्र0 पिनकोड-273015	जनपद- गोरखपुर	जनपद-सम्भल

2- सुश्री माधवी पाण्डेय की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3- सुश्री माधवी पाण्डेय को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार अपेक्षित अंचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, चरित्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित हो जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु सम्बन्धी न हो आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होती है तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग-व्यय/यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

4- सुश्री माधवी पाण्डेय का अस्थाई नियुक्ति-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सत्यापित नहीं होता है या उनके द्वारा अपने स्वः सत्यापन/घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो उक्त नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5- सुश्री माधवी पाण्डेय तैनाती जनपद में 10 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/वित्तीय नियमों तथा कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख-रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली-भाँति समझेंगी और 10 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगी।

12 मार्च, 2024 ई०

सं० 427/2024/65-1099/33/2023-उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के आधार पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के पद पर चयनित एवं नियुक्त हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्मिक अनुभाग-4, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रस्तुत किये गये स्वः सत्यापन/घोषणा पत्र के आधार पर कार्यग्रहण ग्रहण करने की तिथि से जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, के पद पर वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-08 (रु० 47,600-1,51,100) में अस्थाई रूप से नियुक्त करने हेतु 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-

अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पत्राचार/स्थाई पता	गृह जनपद	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5
श्री विशाल कुमार	श्री धारा सिंह	श्री धारा सिंह, 1168डी, उमा नगर कॉलोनी डोरी नगर, पोस्ट-भदेसी, अलीगढ़ उ०प्र० पिनकोड-202002	जनपद-अलीगढ़	जनपद-मथुरा

2- श्री विशाल कुमार की ज्येष्ठता उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3- श्री विशाल कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार अपेक्षित अंचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक तथा आयु संबंधित प्रमाण-पत्र, चरित्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित हो जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु सम्बन्धी न हो आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ०प्र० इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उ०प्र० के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ०प्र० के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग-व्यय/यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

4- श्री विशाल कुमार का अस्थाई नियुक्ति-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सत्यापित नहीं होता है या उनके द्वारा अपने स्वः सत्यापन/घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो उक्त नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5- श्री विशाल कुमार तैनाती जनपद में 10 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/वित्तीय नियमों तथा कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख-रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली-भांति समझेंगे और 10 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगे।

सं० 428/2024/65-1099/33/2023-उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के आधार पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के पद पर चयनित एवं नियुक्त हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्मिक अनुभाग-4, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रस्तुत किये गये स्वः सत्यापन/घोषणा-पत्र के आधार पर कार्यग्रहण ग्रहण करने की तिथि से जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, के पद पर वेतनमान मैट्रिक्स

लेवल-08 (रु0 47,600—1,51,100) में अस्थाई रूप से नियुक्त करने हेतु 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पत्राचार/स्थाई पता	गृह जनपद	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5
सुश्री प्रियंका चौधरी	श्री देवा नन्द चौधरी	श्री देवा नन्द चौधरी, 170 एच, दिव्य नगर कॉलोनी, गोरखपुर उ0प्र0 पिनकोड-273001	जनपद-गोरखपुर	जनपद-देवरिया

2— सुश्री प्रियंका चौधरी की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3— सुश्री प्रियंका चौधरी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार अपेक्षित अंचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, चरित्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित हो जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु सम्बन्धी न हो आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होती है तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग-व्यय/यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

4— सुश्री प्रियंका चौधरी का अस्थाई नियुक्ति-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सत्यापित नहीं होता है या उनके द्वारा अपने स्वः सत्यापन/घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो उक्त नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5— सुश्री प्रियंका चौधरी तैनाती जनपद में 10 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/वित्तीय नियमों तथा कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख-रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली-भांति समझेंगी और 10 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगी।

अनुभाग-3

03 जुलाई, 2024 ई0

सं0 682381/65-3/2024—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के आधार पर विधि अधिकारी, कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री उत्कर्ष द्विवेदी को कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रस्तुत किये गये स्वसत्यापन/घोषणा-पत्र के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विधि अधिकारी, कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश के पद पर वेतनमान रु0 9,300—34,800 वेतनबैण्ड-2 सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 4,600/- में अस्थायी रूप से योगदान की तिथि

से नियुक्त करते हुए दो वर्ष की परीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर निम्नानुसार रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

अभ्यर्थी का नाम	गृह जनपद/राज्य	नियुक्ति का स्थान
1	2	3
श्री उत्कर्ष द्विवेदी	प्रयागराज	कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

2— विधि अधिकारी के पद की गयी नियुक्ति परीक्षा पर अस्थायी रूप से और नियुक्ति योगदान की तिथि से मानी जायेगी। उक्त पद का कार्यभार यथाशीघ्र ग्रहण करें। एक माह तक कार्यभार ग्रहण न करने अथवा समुचित कारण सहित समय बढ़ाने का प्रार्थना पत्र न होने पर उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर विचार कर लिया जायेगा।

3— उक्त नवनियुक्ति अधिकारी को विधि अधिकारी पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय न होगा।

4— विधि अधिकारी पद पर सेवा सम्बन्धी मामले उत्तर प्रदेश राजकीय विभाग विधि अधिकारी संवर्ग सेवा नियमावली, 2016 से अनु शासित होंगे।

5— कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वतः सत्यापन/घोषणा-पत्र या शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में कोई गलत सूचना दी गई है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणामस्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा।

6— कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो, और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु सम्बन्धी न हो, से सत्यापित कराकर आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जायेगे—

- (1)— चरित्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
- (2)— शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी घोषणा-पत्र।
- (3)— चल-अचल सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा-पत्र।
- (4)— विवाहित होने की दशा में एक पत्नी/पति होने का घोषणा-पत्र।

सुभाष चन्द्र शर्मा
प्रमुख सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 23, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी

आकार पत्र-1

28 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 251/12ए-एल०आर०ए०-15/2024-25-जिलाधिकारी, झांसी के पत्र संख्या-645/12ए-डी०एल०आर०सी०/पुनर्ग्रहण/2023-24 दिनांक 21 नवम्बर, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं बिमल कुमार दुबे, आई०ए०एस०, आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ-

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	मुरारी	67	0.065	श्रेणी-6(4)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					77	0.910	पत्थर टोरिया	विकास प्राधिकरण
					86	0.458	की भूमि	(बीड़ा) विकसित करने
					91	0.243	रास्ता	हेतु (निःशुल्क) निर्धारित
					93	0.036		रेट सूची के अनुसार
					134	0.016		रु० 65,28,500/- मात्र
					135	0.020		(रुपये पैसठ लाख
					146	0.045		अट्ठाईस हजार पाँच
					235	0.020		सौ रु० मात्र)
					314	0.348		
					374	0.020		
					378	0.089		
					383	0.202		
					395	0.036		
					398	0.028		
					405	0.202		
					465	0.105		
					490	0.660		
					645	0.146		
					755	0.243		
					788	0.024		
					789	0.020		
					790	0.028		
					793	0.032		
					803	0.243		
					822	0.097		
					910	0.134		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	मुरारी	1165	0.012	श्रेणी-6(4)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					1167	0.057	पत्थर टोरिया	विकास प्राधिकरण
					1201	0.809	की भूमि	(बीड़ा) विकसित करने
					1207	0.069	रास्ता	हेतु (निःशुल्क) निर्धारित
					1211	0.016		रेट सूची के अनुसार
					147/2	0.004		रु0 65,28,500/- मात्र
					54/2	0.170		(रुपये पैसठ लाख
					69/2	0.142		अट्ठाईस हजार पाँच
								सौ रु0 मात्र)
					योग ...	5.935		

29 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 254/12ए-एल0आर0ए0-8/2024-25—जिलाधिकारी, ललितपुर के पत्र संख्या-250/8-एल0आर0सी0/भूमि पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 11 नवम्बर, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	आराजी/ गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	बानपुर	बानौनी	7/6	0.186	5-3ड/बंजर	कचनौदा बांध परियोजना के
					30/2	0.081	5-3ड	निर्माण हेतु सिंचाई विभाग के
					37/6	0.534	5-3ड	पक्ष में पुनर्ग्रहीत
					43/2	0.441	5-3ड	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	बानपुर	बानौनी	47/1m	0.203	5-3ड़	कचनौदा बांध परियोजना के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग के पक्ष में पुर्नग्रहीत।
					57	0.380	5-3ड़	
					58m	0.676	5-3ड़	
					59/2m	0.090	5-3ड़	
					78/1	0.012	5-3ड़	
					84/3	0.300	5-3ड़	
					90/8	6.499	5-3ड़	
					97	0.008	5-3ड़	
					11	0.089	6-4	
					21	0.024	6-4	
					22	0.170	6-4	
					44	0.105	6-4	
					46	1.024	6-4	
					60	0.016	6-4	
					62	0.032	6-4	
					73	0.049	6-4	
					101	0.109	6-4	
					103	0.676	6-4	
					115	2.845	6-4	
					816	0.271	6-4	
					822	0.057	6-4	
					828	0.028	6-4	
					824	0.065	6-4	
					980	0.032	6-4	
					योग ...	15.002		

सं0 255/12ए-एल0आर0ए0-11/2024-25—जिलाधिकारी, ललितपुर के पत्र संख्या-246/8-एल0आर0सी0/भूमि पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 11 नवम्बर, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	आराजी/ गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	दैलवारा	115ख	0.337	5-1	कचनौदा बांध परियोजना के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहीत।
					146	0.102	5-1	
					172	0.149	5-1	
					275	0.200	5-1	
					281	0.030	5-1	
					291	0.032	5-1	
					292	0.024	5-1	
					293	0.080	5-1	
					294	0.200	5-1	
					272	0.297	5-1	
					2	0.402	5-3ड़	
					51क	0.081	5-3ड़	
					116	0.075	5-3ड़	
					117	0.065	5-3ड़	
					120क	0.112	5-3ड़	
					137	0.113	5-3ड़	
					186	0.258	5-3ड़	
					289	0.008	5-3ड़	
					298क	0.076	5-3ड़	
					योग ...	2.641		
						अर्थात्		
						6.52 ए.		

सं0 256/12ए-एल0आर0ए0-10/2024-25—जिलाधिकारी, ललितपुर के पत्र संख्या-247/8-एल0आर0सी0/भूमि पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 11 नवम्बर, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	आराजी/ गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	भारौनी	14	0.259	5-3ड	कचनौदा बांध परियोजना के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहीत।
					25मि0	0.145	5-3ड	
					47मि0	0.271	5-3ड	
					48	0.348	5-3ड	
					53/2मि0	0.263	5-3ड	
					63मि0	0.040	5-3ड	
					64	0.138	5-3ड	
					65	0.170	5-3ड	
					69/4	0.202	5-3ड	
					75	0.166	5-3ड	
					104मि0	0.012	5-3ड	
					128	0.053	5-3ड	
					136मि0	0.081	5-3ड	
					108/2	0.142	5-3ड	
					206मि0	0.008	5-3ड	
					236मि0	0.061	5-3ड	
					284मि0	0.356	5-3ड	
					297/2	0.045	5-3ड	
					330	0.097	5-3ड	
					331	0.008	5-3ड	
					332/1	0.498	5-3ड	
					332/2मि0	0.028	5-3ड	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	भारौनी	336	0.061	5-3ड़	कचनौदा बांध परियोजना के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग के पक्ष में पुर्नग्रहीत।
					341/1	0.162	5-3ड़	
					350	0.223	5-3ड़	
					353/1मि0	0.040	5-3ड़	
					358	0.028	5-3ड़	
					390	0.105	5-3ड़	
					437/2मि0	0.085	5-3ड़	
					474	0.065	5-3ड़	
					508	0.223	5-3ड़	
					512	0.295	5-3ड़	
					521मि0	0.364	5-3ड़	
					559	0.170	5-3ड़	
					564	0.105	5-3ड़	
					566	0.040	5-3ड़	
					567/1	0.032	5-3ड़	
					568/5मि0	0.251	5-3ड़	
					588मि0	0.008	5-3ड़	
					730	0.028	5-3ड़	
					763/1मि0	0.069	5-3ड़	
					764	0.040	5-3ड़	
					35/874	0.073	5-3ड़	
					95/875	0.053	5-3ड़	
					569मि0	0.39	5-3ड़	
					275मि0	0.271	5-3ड़	
					283	0.251	5-3ड़	
					344/1	0.502	5-3ड़	
योग .						6.974		

04 जनवरी, 2025 ई0

सं0 258/12ए-एल0आर0ए0-29/2024-25-जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-744/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2023-24 दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	गुढ़ा	4	0.061	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					22	0.028	बंजर भूमि	विकास प्राधिकरण
					145	0.141		(बीड़ा) विकसित करने
					151	0.024		हेतु (निःशुल्क)।
					241	0.036		
					293	0.117		
					295	0.129		
					296	0.312		
					305	0.198		
					307	0.234		
					310	0.109		
					315	0.142		
					317	0.117		
					320	0.170		
					322	0.562		
					323	0.223		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	गुढ़ा	332	0.433	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					336	1.061	बंजर भूमि	विकास प्राधिकरण
					346	0.174		(बीड़ा) विकसित करने
					347	2.223		हेतु (निःशुल्क)।
					358	0.142		
					372	0.049		
					373	0.089		
					378	0.065		
					419	0.097		
					289/3	0.227		
					291/1	1.497		
					319/3	0.036		
					324मि०	0.040		
					343	0.498		
					348मि०	0.032		
					355/1	0.283		
					406/1	0.138		
					54/2	0.024		
					योग.	9.711		

03 जनवरी, 2025 ई०

सं० 259/12ए-एल०आर०ए०-27/2024-25—जिलाधिकारी-झाँसी के पत्र संख्या-740/12ए-डी०एल०आर०सी०/पुनर्ग्रहण/2023-24 दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023

दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मै, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बरूआपुरा	728	1.113	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					733	0.028	बंजर भूमि	विकास प्राधिकरण
					739	2.185		(बीड़ा) विकसित करने
					547	0.356		हेतु (निःशुल्क)।
					736	2.610		
					740	0.995		
					732	1.327		
					737	2.051		
					741	2.076		
					638	0.275		
					641/2	0.040		
					738	0.401		
					600	0.725		
					439	0.032		
					734	0.214		
					629	0.130		
					729	0.089		
					531	0.081		
					643	0.073		
					735	0.138		
					639	0.053	श्रेणी 6-4 पत्थर	
योग.						14.992		

07 जनवरी, 2025 ई0

सं0 267/12ए-एल0आर0ए0-25/2024-25-जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-743/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2023-24 दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	ढिकौली	65	0.045	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)।
					7	0.178	बंजर भूमि	
					86/2	0.020		
					90	0.024		
					98/3	0.259		
					129	0.316		
					133	0.032		
					134	0.065		
					146	0.032		
					158	0.482		
					165	0.190		
					184	0.166		
					207	0.020		
					210/3मि0	0.262		
					213	0.267		
					239	0.032		
					261	0.069		
					265/2	0.016		
					292	0.020		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	ढिकौली	296/2	0.012	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर भूमि	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)।
					298	0.113		
					301	0.024		
					305	0.170		
					311	0.057		
					333	0.101		
					41	0.032		
					350	0.231		
					351	0.109		
					355	0.166		
					290/2	0.142		
					380/2	0.073		
					391	0.316		
					408	0.073		
					409	0.016		
					416/5	0.133		
					424/1	0.004		
					451/2	0.162		
					42	0.235		
					43	0.162		
					44/2	1.598		
					471	0.024		
					481/2	0.073		
					632/2	0.040		
					648	0.077		
					664	0.024		
					675/2	0.040		
					681	0.198		
					712	0.053		
					751/2	0.049		
					762	0.028		
					771	0.089		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	ढिकौली	45	0.138	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर भूमि	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)।
					783	0.024		
					811मि०	0.300		
					818	0.032		
					821	0.101		
					46/2	1.914		
					859/2	0.036		
					243	0.146		
					880मि०	0.388		
					896	0.316		
					897	0.991		
					898	0.065		
					912	0.073		
					920/2	0.004		
					923	0.121		
					983	0.012		
					947	0.243		
					977	0.259		
					994/2	0.024		
योग ...						12.306		

सं० 268/12ए-एल०आर०ए०-28/2024-25)–जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-745/12ए-डी० एल० आर० सी०/पुनर्ग्रहण/2023-24 दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई०ए०एस०, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	डंगरवाहा	86/1	0.210	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर भूमि	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)।
					87/1	0.146		
					88/1	0.073		
					90/1	0.008		
					93/1	0.158		
					94/1	0.004		
					104	0.153		
					106/1	0.097		
					108	0.032		
					109/1	0.012		
					112/3	0.085		
					168/2	0.109		
					421	0.045		
					473/2	0.032		
					588	0.040		
					834/1691	0.089		
					898	0.425		
					899	0.413		
					900	0.328		
					901/1	0.566		
					933	0.858		
					934/2	1.003		
					935	0.437		
					936	0.283		
					948	0.332		
					949	1.769		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	डंगरवाहा	950	0.279	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					965/3	0.263	बंजर भूमि	विकास प्राधिकरण
					966/2	0.048		(बीड़ा) विकसित करने
					975/1	0.012		हेतु (निःशुल्क)।
					981/1मि0	0.008		
					1061/1	0.178		
					1063/3	0.005		
					1064	0.045		
					1071	0.356		
					1084/2	0.057		
					1128/1	0.020		
					1147/2	0.045		
					1144/2	2.829		
					1156/1	0.182		
					1157/1	0.024		
					1182/4	0.186		
					1184/2	0.239		
					1185	0.125		
					1186/1	0.053		
					1294	0.522		
					1361	0.143		
					1362	0.518		
					1379/2	0.020		
					1384/2	0.008		
					1391/3	0.057		
					1531	2.020		
					योग.	15.949		

03 फरवरी, 2025 ई०

सं० 348/12ए-एल०आर०ए०-39/2024-25-जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-823/12ए-डी०एल०आर०सी०/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 30 जनवरी, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई०ए०एस०, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	कलोथरा	260	0.1620	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर भूमि	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क) निर्धारित रेट सूची के अनुसार रु० 1,18,31,000/- मात्र (रुपये एक करोड़, अठ्ठारह लाख, इकत्तीस हजार मात्र)
					254	1.4250		
					255	0.9910 में से 0.6700		
					257	5.6680 में से 1.2490		
					291	0.0240		
					295	0.3240		
					226	0.1620		
					253	1.5980		
					241	2.3700		
					267	0.1620		
					269	0.0320		
					270	0.0120		
					272	0.1520		
					273	0.0770		
					277	2.0880		
					281	0.1040		
					279	1.0120		
					286	0.2060		
योग ...						11.8310		

सं0 349/12ए-एल0आर0ए0-20/2024-25—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-812/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 29 जनवरी, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	खजराहा बुजुर्ग	285	0.1050	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर भूमि	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क) निर्धारित रेट सूची के अनुसार
					292	0.0650		रु0 46,69,600/- मात्र
					293	0.0530		(रुपये छियालिस लाख,
					305	0.0570		उनहत्तर हजार, छः सौ
					315	0.1820		मात्र)
					344	0.2100		
					386	0.0970		
					401/7	0.0080		
					406/3	0.0280		
					527	0.0400		
					561	0.0240		
					562	0.0280		
					563	0.0240		
					567	0.0320		
					582	0.2060		
					633	0.0400		
					649/2	0.0450		
					697	0.2790		
					750	0.1660		
					980	0.4000		
					1013	0.0890		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	खजराहा बुजुर्ग	1034	0.6800	श्रेणी-5(3)ड बंजर भूमि	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क) निर्धारित रेट सूची के अनुसार
					1125	0.1420		
					1212	0.1130		
					1356	0.0850		
					1358	0.0410		रु० 46,69,600/- मात्र
					1651	0.0240		(रुपये छियालिस लाख,
					1665	0.3800		उनहत्तर हजार, छः सौ
					1694	0.610		मात्र)
					1698	0.0610		
					1754	0.0280		
					1755	0.0930		
					1855	0.0400		
					1862	0.1660		
					1867/2	0.0370		
					1959	0.1210		
					2136/2	0.0120		
					2143	0.1300		
					2158/2	0.0410		
					2349/2	0.0040		
					2389मि०	0.0800		
					2414मि०	0.0400		
					2425/1	0.1620		
					2440	0.2870		
					2488/2	0.0240		
					2539	0.1420		
					2540	0.0530		
					2554	0.1300		
					2555	0.0810		
					2557	0.0370		
					2559	0.3400		
					2569	0.0240		
					योग ...	5.8370		

सं० 350 / 12ए-एल०आर०ए०-38 / 2024-25—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-813 / 12ए-डी०एल०आर०सी० / पुनर्ग्रहण / 2024-25 दिनांक 29 जनवरी, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578 / एक-1-1099 / 46 / 2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई०ए०एस०, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	डोमागोर	12	0.0690	श्रेणी-5(3)ड बंजर भूमि	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					17	0.0890		निर्धारित रेट सूची के अनुसार रु०
					21	0.1210		85,16,900/- मात्र (रुपये पचासी लाख, सोलह हजार, नौ सौ मात्र)
					36	0.0320		
					37	0.0200		
					46	0.0810		
					51	0.9540		
					65	0.1050		
					78	0.0690		
					82	0.0240		
					100	0.0320		
					122	0.0850		
					370	0.0320		
					377	0.1210		
					393	0.0760		
					396	0.2800		
					409	0.0240		
					425	0.0610		
					462	0.6320		
					506	0.4410		
					513	0.0730		
					523	0.3520		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	डोमागोर	575	0.0440	श्रेणी-5(3)ड बंजर भूमि	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					610	0.0800		विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					641	0.0240		निर्धारित रेट सूची के अनुसार रु०
					642	0.0240		85,16,900/- मात्र
					668	0.1300		(रुपये पचासी लाख, सोलह हजार, नौ सौ मात्र)
					670	0.0530		
					697	0.0120		
					698	0.0240		
					750	0.3640		
					752	0.1010		
					896	0.0960		
					983	0.0160		
					114ख	0.3120		
					119ख	2.1360		
					211मि०	0.2020		
					395घ	0.1760		
					451क	0.0400		
					563ख	0.0340		
					564क	0.1080		
					57ग	0.0490		
					62मि०	0.1010		
					67ख	0.5780		
					75ख	0.0120		
					76ख	0.0100		
					813क	0.7410		
					814क	0.3240		
					81ख	0.0690		
					825मि०	0.1430		
					826क	0.1010		
					8मि०	0.6070		
					95मि०	0.2990		
					9क	1.3840		
					योग ...	12.1670		

सं0 351 / 12ए-एल0आर0ए0-34 / 2024-25—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-807 / 12ए-डी0एल0आर0सी0 / पुनर्ग्रहण / 2024-25 दिनांक 27 जनवरी, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578 / एक-1-1099 / 46 / 2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही जा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	अम्बावाय	513ख	0.0930	श्रेणी-5(1) नवीन परती	बुन्देलखण्ड
					520घ	0.1390	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	औद्योगिक विकास
					520ग	0.2720	श्रेणी-5(1) नवीन परती	प्राधिकरण (बीड़ा)
					537ख	0.2350	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	विकसित करने
					544क	0.1290	श्रेणी-5(1) नवीन परती	हेतु (निःशुल्क)
					558	0.0810	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	निर्धारित रेट सूची
					559	0.7360	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	के अनुसार रु0
					616ख	0.2270	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	15,87,07,000/-
					717	0.0720	श्रेणी-5(1) नवीन परती	मात्र (रुपये पन्द्रह
					758	0.2610	श्रेणी-5(1) नवीन परती	करोड़, सत्तासी
					760	0.4000	श्रेणी-5(1) नवीन परती	लाख, सात हजार
					806	0.0590	श्रेणी-5(1) नवीन परती	मात्र)।
					829	0.3180	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					830	0.4660	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					833	0.2190	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					837	0.0570	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					860मि0	0.4350	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					861घ	0.6940	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					863ग	0.1380	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					864ड़	0.7310	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					871ग	0.0810	श्रेणी-5(1) नवीन परती	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	अम्बावाय	875	0.4620	श्रेणी-5(1) नवीन परती	बुन्देलखण्ड
					876	1.7400	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	औद्योगिक विकास
					890	0.0850	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	प्राधिकरण (बीड़ा)
					906	0.7440	श्रेणी-5(1) नवीन परती	विकसित करने
					913	1.0010	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	हेतु (निःशुल्क)
					920	0.6510	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	निर्धारित रेट सूची
					923	0.1280	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	के अनुसार रु0
					932	0.6390	श्रेणी-5(1) नवीन परती	15,87,07,000/-
					948	1.1560	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	मात्र (रुपये पन्द्रह
					951	0.0850	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	करोड़, सत्तासी
					961	0.1480	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	लाख, सात हजार
					963ख	0.1690	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	मात्र)
					992ग	0.1540	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					992ख	0.0320	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					1006	0.5000	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1011	0.0580	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1015	0.0320	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1019	0.2100	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1024	0.7660	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1136	0.0450	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1211	0.0290	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1214	0.2430	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1219	0.0770	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1227	0.2230	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1233ग	0.3530	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1243	0.1460	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					1252	0.0200	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					1292	0.2270	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					1293	0.4690	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1335	0.1700	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1341	0.0890	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1359	0.3130	श्रेणी-5(1) नवीन परती	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झांसी	झांसी	झांसी	अम्बावाय	1367मि0	0.5460	श्रेणी-5(1) नवीन परती	बुन्देलखण्ड
					1375	0.1820	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	औद्योगिक विकास
					1378	0.1750	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	प्राधिकरण (बीड़ा)
					1380	0.3730	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	विकसित करने
					1395	0.3830	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	हेतु (निःशुल्क)
					1403	0.1490	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	निर्धारित रेट सूची
					1414	0.0490	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	के अनुसार रु0
					1430	0.0920	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	15,87,07,000/-
					1499ख	0.1360	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	मात्र (रुपये पन्द्रह
					1513क	0.0990	श्रेणी-5(1) नवीन परती	करोड़, सत्तासी
					1569	0.7130	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	लाख, सात हजार
					1571ग	0.1710	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	मात्र)
					1575ख	0.4250	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					1628	0.4590	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1631	0.5470	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1632	0.1460	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1633	0.4130	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1634ख	0.0200	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1634क	0.8940	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					1636	0.1700	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1638ग	0.2100	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1638ख	0.1750	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					1664	0.2510	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1669ग	0.0470	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	
					1722	0.0390	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					1793	1.1300	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					1829	0.0360	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1847	0.1950	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1848क	1.2870	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1848ख	0.0510	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	
					1850	0.4290	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	
					1851ग	1.2050	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	अम्बावाय	1852क	0.7360	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	बुन्देलखण्ड
					1854	1.0520	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	औद्योगिक विकास
					1856ख	1.0210	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	प्राधिकरण (बीड़ा)
					1860ग	0.2400	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	विकसित करने
					1861	0.4170	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	हेतु (निःशुल्क)
					1863ख	0.0530	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	निर्धारित रेट सूची
					1864	0.7330	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	के अनुसार रु0
					1868	0.0280	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	15,87,07,000/-
					1870	0.9710	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	मात्र (रुपये पन्द्रह
					1871ख	0.2430	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	करोड़, सत्तासी
					1875ख	0.2550	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	लाख, सात हजार
					1876ख	0.2060	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	मात्र)
					1877मि0	1.3810	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	
					1878ग	0.0370	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	
					1901	0.1470	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					1918	1.4660	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1958ख	0.3090	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1973	1.0460	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1994	0.5670	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					2000	0.4770	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					2004मि0	0.0410	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					2133ख	0.0200	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					2135	0.0980	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					2157	0.6780	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					2182	0.0730	श्रेणी-5(1) नवीन परती	
					2226	0.0200	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					1772मि0	1.2460	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर (पुर्नवास क्षेत्र)	
					योग ...	41.7650		

सं0 353/12ए-एल0आर0ए0-39/2024-25—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-822/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 30 जनवरी, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	पुनावली कलां	70	0.0160	श्रेणी-6-4	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					80	0.1620	पत्थर	विकास प्राधिकरण
					175	0.6430		(बीड़ा) विकसित करने
					176	0.4050		हेतु (निःशुल्क)
					183	0.0770		निर्धारित रेट सूची के
					243	0.0400		अनुसार रु0
					413	0.1170		59,96,000/- मात्र
					869	0.0280		(रुपये उन्सठ लाख
					1554	0.0730		छियानबे हजार मात्र)
					1843मि0	0.1620		
					2192	0.1050		
					2449मि0	1.3070		
					2451मि0	2.3390		
					2597	0.1010		
					2964	0.4210		
					योग ...	5.9990		

सं0 354/12ए-एल0आर0ए0-34/2024-25—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-793/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 25 जनवरी, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बछौनी	137	0.0360	श्रेणी-5(3)ड बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क) निर्धारित रेट सूची के अनुसार रु0 1,65,22,400/- मात्र (रुपये एक करोड़ पैसठ लाख बाईस हजार चार सौ मात्र)
					139	0.4050		
					142	0.0490		
					120	0.0490		
					174मि0	0.4050		
					123	0.0690		
					153	0.0490		
					172	0.0890		
					212मि0	0.0130		
					404	0.1010		
					408	0.2190		
					423	0.1380		
					549	0.0400		
					623	0.0400		
					644	0.0120		
					646	0.3640		
					775	0.1860		
					36/1	0.0280		
					134	0.0770		
					135	0.0890		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	बछौनी	152	0.0690	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क) निर्धारित रेट सूची के अनुसार रु० 1,65,22,400/- मात्र (रुपये एक करोड़ पैसठ लाख बाईस हजार चार सौ मात्र)
					155	0.0160		
					189	0.0280		
					228	0.0360		
					359	0.0690		
					406	0.0570		
					128/2	0.0320		
					133	0.0450		
					190	0.0610		
					218	0.0770		
					226	0.0370		
					439	0.0160		
					449	0.1090		
					454	0.2310		
					456	0.0400		
					477	0.1620		
					479	0.1500		
					487	0.1500		
					488	0.0200		
					586	0.0850		
					620	0.1210		
					634	0.1050		
					642	0.0680		
					854	0.0360		
					859	0.1170		
					860	0.2190		
					862	0.1700		
					132	0.0850		
					203	0.0810		
					227	0.0570		
					313	0.0570		
					457	0.1780		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	बछौनी	829	0.0610	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क) निर्धारित रेट सूची के अनुसार रु० 1,65,22,400/- मात्र (रुपये एक करोड़ पैसठ लाख बाईस हजार चार सौ मात्र)
					865मि०	0.2140		
					873	0.1180		
					874	0.0200		
					881	0.0320		
					934	0.0450		
					941	0.4260		
					957	1.2150		
					444	0.1130		
					960	0.0510		
					961	0.1270		
					964	0.4660		
					965	0.1420		
					197मि०	0.0040		
					276	0.0730		
					327	0.0730		
					338	0.1020		
					379	0.3240		
					421	0.0530		
					431	0.1210		
					434	0.0970		
					438	0.0120		
					478	0.1010		
					480मि०	0.0920		
					510	0.0810		
					606मि०	0.0810		
					625	0.3800		
					638	0.0730		
					703	0.0200		
					778	0.0730		
					779	0.1300		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	बछौनी	781	0.0200	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क) निर्धारित रेट सूची के अनुसार रु0 1,65,22,400/- मात्र (रुपये एक करोड़ पैसठ लाख बाईस हजार चार सौ मात्र)
					407	0.0300		
					436	0.0930		
					827	0.0770		
					842	0.0970		
					849मि0	0.1250		
					861/3	0.2830		
					869	0.1460		
					882	0.1900		
					892	0.0650		
					894	0.0530		
					915	0.0360		
					935	0.0770		
					943	0.1740		
					953	1.2140		
					955	0.7190		
					958	0.0570		
					963	0.4290		
					15	0.0530		
					136	0.0360		
					304	0.0650		
					339	0.3080		
					416	0.0880		
					427मि0	0.0080		
					451	0.1340		
					443	0.0730		
					466	0.0610		
					645	0.3970		
					883	0.2190		
					949	0.1260		
					985	0.1090		
					987	0.2420		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	बछौनी	988	0.1820	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					990	0.3600	बंजर	विकास प्राधिकरण
					998	0.1670		(बीड़ा) विकसित करने
					1017	0.0970		हेतु (निःशुल्क)
					1026	0.0400		निर्धारित रेट सूची के
					1031	0.1620		अनुसार रु०
					1040	0.1210		1,65,22,400/- मात्र
					1041	0.0530		(रुपये एक करोड़
					1073	0.0120		पैसठ लाख बाईस
					1077/4	0.0120		हजार चार सौ मात्र)
					1082	0.1250		
					1095	0.0610		
					1102	0.0610		
					1104	0.0400		
					1105	0.1540		
					1106	0.0970		
					1143	0.0570		
					1146	0.0360		
					1186	0.0650		
					1188	0.0690		
					1190मि०	0.0490		
					1194	0.0280		
					1200	0.0810		
					1205	0.0730		
					1219	0.6890		
					1224	0.0450		
					1229	0.0200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	बछौनी	1239	0.1900	श्रेणी-5(3)ड	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					178/1258	0.1010	बंजर	विकास प्राधिकरण
					481मि०	0.7090		(बीड़ा) विकसित करने
					724मि०	0.6500		हेतु (निःशुल्क)
					1170/1261	0.0810		निर्धारित रेट सूची के
								अनुसार रु०
								1,65,22,400/- मात्र
								(रुपये एक करोड़
								पैसठ लाख बाईस
								हजार चार सौ मात्र)
योग .						20.6530		

बिमल कुमार दुबे,
आयुक्त,
झाँसी मण्डल, झाँसी।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

अधिसूचना

27 अप्रैल, 2026 ई०

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की अधिसूचना

सं० 59(ii)/08-अ०जि०अ०(भू०अ०)शा०सहा०परि०, लखनऊ-अधिषासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से संचालित जनपद लखनऊ में गोसाईगंज-बनी-मोहान मार्ग (राज्य मार्ग सं०-136) पर अनूपगंज में पड़ने वाले रेलवे कासिंग सं०-188 स्पेसल पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु ग्राम-बलिया खेड़ा व ग्राम-षिवलर तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-1407/08-अ०जि०अ०(भू०अ०) शा०सहा०परि०, लखनऊ दिनांक 17 जनवरी, 2026 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से कार्यालय के पत्र संख्या 1408/08-अ०जि०अ०(भू०अ०) शा०सहा०परि०, लखनऊ दिनांक 19 जनवरी, 2026 को निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को प्रकाशित कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-(2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक-22.04.2026 पर विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है। तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला लखनऊ तहसील मोहनलालगंज ग्राम बलिया खेड़ा व शिवलर की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। (अधिषासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से संचालित जनपद लखनऊ में गोसाईगंज-बनी-मोहान मार्ग (राज्य मार्ग सं0-136) पर अनूपगंज में पड़ने वाले रेलवे कासिंग सं0-188 स्पेस पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु योजना में उप जिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ के पत्र दिनांक-20.04.2026 के अनुसार अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि से कोई कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।)

अनुसूची-क

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
01	लखनऊ	मोहनलालगंज	बलिया खेड़ा	279	0.01251
02				270	0.02005
03				272	0.00800
04				235	0.03731
05				230	0.00810
06				118	0.01600
07				115	0.02860
08	लखनऊ	मोहनलालगंज	बलिया खेड़ा	106	0.01150
09				105	0.02149
10				70	0.00900
11				71	0.02261
12				97	0.00882
13				104	0.01400
14				287	0.04300
15				288	0.00500
16				291	0.03800

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
17				285	0.05040
18				284	0.01300
19				369	0.08480
20				371	0.03520
21				383	0.00900
22				384	0.02400
23				385	0.07560
24				386	0.02700
25				388	0.03493
				योग	0.657920
01			शिवलर	138(1/2),	0.023940
				138(1/1)	
				योग	0.023940
				कुल योग	0.681860

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित कये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज	बलिया खेड़ा व शिवलर	शून्य	शून्य

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) शारदा सहायक परियोजना, कक्ष सं0—40, कलेक्ट्रेट, लखनऊ स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

विशाख जी,
जिलाधिकारी, लखनऊ।

लोक निर्माण विभाग**प्रारूप-19**

[नियम 27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

30 मई, 2026 ई0

सं0 5630/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)गोरखपुर/2026-अधिशाली अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जिला गोरखपुर तहसील सदर, परगना हवेली ग्राम सिक्टौर में स्थित 0.033224 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 'ए' 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-5448 दिनांक 13.05.2026 को निर्गत की गयी थी तथा जिसे अन्तिम रूप से दिनांक 15.05.2026 को प्रकाशित किया गया है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देती हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है। राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देती हैं कि अधिनियम, की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु गोरखपुर कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
गोरखपुर	सदर	हवेली	सिक्टौर	240मि0	0.033224

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
गोरखपुर	सदर	हवेली	सिक्टौर	240मि0	-

टिप्पणी:—उक्त भूमि का स्थल नक्शा. गोरखपुर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना**[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]**

अधिशाली अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन परियोजना हेतु जिला-गोरखपुर तहसील सदर, परगना हवेली ग्राम सिक्टौर में स्थित 0.033224 हे० भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना सं०-5448 दिनांक 13.05.2026 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

अधिसूचित गाटा सं०-240मि० अर्जित रकबा 0.033224हे० में प्रभावित भू-स्वामी विस्थापित नहीं हो रहे हैं।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट
कलेक्टर,
गोरखपुर।

DEPARTMENT OF PUBLIC WORK**FORM-19****[Sub-rule (1) of rule 27]**

Declaration by Appropriate Government/Collector

[Under Sub-section (1) of section 19 of the Act]

NOTIFICATION*May 30, 2026*

No. 5630/VIII/S.A.L.O./Gorakhpur--Whereas Preliminary Notification no. 5448 Dated 13-05-2026 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in Respect of 0.033224 hectares of land in Village-Sikktaur, Pargana-Haveli, Tehsil-Sadar, District-Gorakhpur is required for public purpose, namely, project 04-lane widening and strengthening work of the under-construction Gorakhpur Bypass (Deoria Bypass Road) (Other District Road) through Executive Engineer Public Work Department Prantiya Khand and lastly published on dated 15.05.2026.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the Area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose.

The Governor is further pleased Sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Gorakhpur to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resttelment scheme is attached here with-

SCHEDULE "A"**(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area (in Inch)
1	2	3	4	5	6
Gorakhpur	Sadar	Haveli	Sikkaur	240MI	0.033224

SCHEDULE "B"**(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Earmarked for Rehabilitation (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Gorakhpur	Sadar	Haveli	Sikkaur	240MI	-

NOTE: A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR**[Under Sub-Section (2) of Section 19 of The Act]**

By the order of declaration made under Government notification no. 5448 dated 13.05.2026 for 0.033224 hectares of land in Village-Sikkaur, Pargana-Haveli, Tehsil-Sadar, District-Gorakhpur is required for public purpose, namely project 04-lane widening and strengthening work of the under-construction Gorakhpur By pass (Deoria By pass Road) (Other District Road) through Executive Engineer Public Work Department Prantiya Khand, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

"The affected landowners are not being displaced in the notified Gata No.-240Mi, acquired area 0.033224 hectares."

The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land acquisition.

(Sd.) Illegible,
Collector, Gorakhpur.

प्रारूप—18

[नियम 20 का उपनियम (2)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

13 मई, 2026 ई0

सं0 5448/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)गोरखपुर/2026-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, “ए” 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु राय है कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन निर्माणाधीन गोरखपुर उपमार्ग (देवरिया बाईपास मार्ग) (अन्य जिला मार्ग) का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सड़कीकरण का कार्य हेतु जनपद-गोरखपुर, तहसील-सदर, परगना-हवेली, ग्राम-सिक्टौर में कुल 0.033224 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 13 मई, 2026 को अनुमोदित किया गया है।

3-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है-

सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना को ध्यान में रखते हुये कास्तकारों से विचार विमर्श के पश्चात् नियम बद्ध तरीके से आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

4-भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त बाईपास के आस-पास आवासीय कालोनियां, होटल व कॉर्मशियल कॉम्प्लेक्स बनने की अपार सम्भावना है। प्रभावित ग्रामवासी एवं यातायात करने वाले समस्त सभी लोगों को सड़क जाम से निजात मिलेगी एवं सड़क दुर्घटना में कमी आयेगी।

5-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देती हैं।

6-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं भूमि प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें के लिये राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	आराजी	अधिग्रहित क्षेत्र
					हेक्टेयर
गोरखपुर	सदर	हवेली	सिक्टौर	240 मि0	0.033224

7- अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 15 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8— अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर,
गोरखपुर।

DEPARTMENT OF PUBLIC WORK

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

Declaration by Appropriate Government/Collector

[Under Sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

May 13, 2026

No. 5448/VIII/S.A.L.O./Gorakhpur--1--Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate government) is of the opinion that for the 04-Lane widening and strengthening work of the under-construction Gorakhpur Bypass (Deoria Bypass Road) (Other District Road) for public purposes through the Public Works Department, a total of 0.033224 hectare of land is required in Village-Sikktaur, Pargana-Haveli, Tehsil-Sadar, District-Gorakhpur.

2--A Social Impact Assessment study has been conducted by the Social Impact Assessment Agency determined by the State Government, and its recommendations have been submitted to the appropriate government, which has been approved by the appropriate government on 13.05.2026.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows:--Keeping the Social Impact Management Plan in mind, after consultation with the Owners, the acquisition of the required land has been carried out in a rule-bound manner.

4--No family will be displaced due to the land acquisition. In addition to the above, there is immense potential for the development of residential Colonies, Hotels, and commercial complexes around the bypass. Affected Village Residents and all commuters will get relief from traffic jams, and road accidents will decrease.

5--Therefore, the Governor gives assent to notify the land mentioned in the following schedule for public purposes to provide general information.

6--Under Section 12 of the Act, the Governor gives instructions to authorize the Collector to take necessary steps for land acquisition specified and provided for, and for all necessary activities including land survey, leveling any land, digging, and proper implementation of the work-

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Gorakhpur	Sadar	Havely	Sikktaur	240MI	0.033224 Hect.

7. Under section 15 of the Act any person interested in the land may within days 15 after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act. No. person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed. Without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) Illegible,
Collector, Gorakhpur.

प्रारूप—19**(नियम—27 का उपनियम (1))****(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)****लोक निर्माण विभाग****अधिसूचना**

18 मार्च, 2026, ई०

सं० 4790/आठ-वि०भू०अ०अ०/बिजनौर-उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बिजनौर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन जनपद-बिजनौर में नजीबाबाद बालाबाली लक्सर मार्ग पर बालाबाली के निकट गंगा नदी पर सेतु की पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु मार्ग में संरक्षण में पड़ने वाली जिला व तहसील-बिजनौर के ग्राम-जहानाबाद बी०ए०, परगना-मण्डावर, तहसील-बिजनौर का कुल रकबा 0.7266 हेक्टेयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-4394/आठ-वि० भू० अ० अ०/बिजनौर/दिनांक-25.09.2025 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से शासकीय गजट में दिनांक 08.11.2025 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची “क” में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

अनुसूची 'क'
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	बिजनौर	मण्डावर	जहानाबाद बी0ए0	219	0-3160
				173	0-0452
				142	0-1488
				129	0-1416
				128	0-0500
				131	0-0250
				योग ...	0-7266

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

जिला कलेक्टर,
बिजनौर।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बिजनौर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन जनपद-बिजनौर में नजीबाबाद बालाबाली लक्सर मार्ग पर बालाबाली के निकट गंगा नदी पर सेतु की पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु मार्ग में संरक्षण में पड़ने वाली जिला व तहसील-बिजनौर के ग्राम-जहानाबाद बी0ए0, परगना-मण्डावर, तहसील-बिजनौर का कुल रकबा 0.7266 हेक्टेयर भूमि के लिये धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या-4394/दिनांक-25.09.2025 तथा अन्तिम रूप से शासकीय गजट में दिनांक 08.11.2025 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
बिजनौर।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग**प्रारूप—18**

[नियम 20 का उप नियम (2)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

21 मई, 2026 ई0

सं0 653/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)सम्भल/2026-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उप धारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश, सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर गुण नियंत्रण खण्ड-2, हरिद्वार.....(आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, ग्राम....परियावली.....में कुल...0.1408...हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा.....दिनांक.....को अनुमोदित किया गया है।

3-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है:- रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है।

.....

.....

.....

4-भूमि अर्जन के कारण कुल...शून्य.....परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है:-

.....

.....

.....

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	परियावली	631	0.0960
				627	0.0448
योग . .					0.1408

6-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती है।

7-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के.....(दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8-अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सःव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:— उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

Declaration by Appropriate Government/Collector

[Under Sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

May 21, 2026

No. 653/VIII/S.A.L.O/Sambhal--Under Sub-Section (1) Of Section 11 Of The Right To Fair compensation and transparency in rehabilitation resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.1408 Hectares of land is required in the Village-Paryawali Sambal, Tehsil-Sambal, District-Sambal is required for public purpose, namely, project, MADHYA GANGA CANAL PHASE 2nd through IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH, THROUGH EXECUTIVE ENGINEER MADHYA GANGA CANAL CONSTRUCTION DIVISION-2, HARIDWAR (name of requirement body).

2- Social Impact assessment study was carried out by the State Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated

3- The summary of the social Impact Assessment report as follow:

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT IS NOT APPLICABLE.

4- A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:

Deputy Collector/Assistant Collector is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5- Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose-

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambal	Sambal	Sambal	Paryawali	631	0.0960
”	”	”	”	627	0.0448
Total . .					0.1408

6- The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7- Under section 15 of the Act any person interested in the land may within 60 (days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8- Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) Illigible
Collector,
Sambhal.

कार्यालय, जिलाधिकारी, कन्नौज

अधिसूचना

10 अप्रैल, 2026 ई०

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की अधिसूचना

सं० 80/आठ-अ०जि०भू०अ०/कानपुर नगर/2026—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) कलेक्टर, कन्नौज की राय है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा जनपद—कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे किमी० 196.900 से 197.300 के मध्य 400 मी० सर्विस लेन के निर्माण के लिये ग्राम—अलमापुर, तहसील तिर्वा, जनपद—कन्नौज 0.4040 हे० भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की गयी है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

इस सर्विस लेन के निर्माण से सभी को आवागमन में सुगमता आयेगी। किसानों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में आसानी होगी। आस-पास के ग्राम के निवासियों को इस सर्विस लेन से लाभान्वित होंगे। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर सर्विस लेन की सुविधा से एक नया वैकल्पिक मार्ग विकसित होगा तथा ईंधन की बचत होगी।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन जनपद—कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे किमी० 196.900 से 197.300 के मध्य 400 मी० सर्विस लेन के निर्माण हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	4	5	6
				हेक्टेयर
कन्नौज	तिर्वा	अलमापुर	78	0.0570
			103	0.1310
			107	0.0240
			108	0.1920
			योग . .	0.4040

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) कानपुर नगर स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,

कलेक्टर, कन्नौज।

OFFICE OF THE COLLECTOR, KANNAUJ

NOTIFICATION

April 10, 2026

Notification under section 11 of the Right to Fair Compensation and
Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

No. 80/VIII-A.D.M.(L.A.)/Kanpur Nagar/2026—Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Collector, Kannauj, is of the opinion that the Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA) requires 0.4040 hectares of land in Village Almapur, Tehsil-Tirwa, District-Kannauj, for the construction of a 400 meter service lane between km. 196.900 and 197.300 of the Agra Lucknow Expressway in Kannauj District.

2. Social Impact Assessment study has been conducted by the State Social Impact Assessment Agency, and its recommendations have been submitted to the Appropriate Government.

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

The construction of this service lane will facilitate transportation for all. Farmers will find it easier to cross from one side to the other. Residents of nearby Villages will benefit from this service lane. The service lane on the Agra Lucknow Expressway will develop a new alternative route and save fuel.

4. No family is being displaced due to the Land acquisition.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the following schedule for the construction of a 400 foot service lane between Km. 196.900 and 197.300 of the Agra Lucknow Expressway in Kannauj District for public purpose.

SEHEDULE

District	Tehsil	Village	Gata No.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5
				<i>Hectare</i>
Kannauj	Tirwa	Almapur	78	0.0570
			103	0.1310
			107	0.0240
			108	0.1920
			Total . .	0.4040

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entreupon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE-A Site plan of land may be inspected in the Office of the Additional District Magistrate (L.A.) Kanpur Nagar situated at the 37/17 Westcott Building Mall Road, Kanpur Nagar.

(Sd.) Illegible,
Collector, Kannauj.

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश,**लखनऊ**

विज्ञप्ति

10 अप्रैल, 2026 ई0

सं0 1396/जी0-161/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-धनघटा, परगना-महुली पूरब, जनपद-संतकबीर नगर के ग्राम-गोपालपुर, तप्पा-तरयापार में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1397/जी0-164/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-ठाकुरद्वारा, जनपद-मुरादाबाद के ग्राम-पीपली घनश्याम ऐहतमाली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1398/जी0-157/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-भाटपाररानी, परगना-सलेमपुर मझौली, जनपद- देवरिया के ग्राम-पुरैना, तप्पा-गौतमा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1399/जी0-153/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम-गोई में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1400/जी0-168/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं,

अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लालगंज, परगना-अठेहा, जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम-भुड़हा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1401/जी0-176/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, पगरना-राल्हूपुर, जनपद-चन्दौली के ग्राम ऐरी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1402/जी0-176/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सकलडीहा, परगना-बरह, जनपद-चन्दौली के ग्राम-लच्छीपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1403/जी0-361/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, परगना-जफराबाद, जनपद-जौनपुर के ग्राम-हरिबल्लभपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1404/जी0-158/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-शाहबाद, जनपद-रामपुर के ग्राम-मौहम्मदनगर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1405/जी0-03/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के

अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-कुलपहाड़, जनपद-महोबा के ग्राम-सिमरिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1406/जी0-161/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-धनघटा, परगना-महुली पूरब, जनपद-संतकबीर नगर के ग्राम-तिनहरी, तप्पा-फिदाईपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1407/जी0-152-B/2022-23/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-जयसिंहपुर, परगना-बरौसा, जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-बरुआ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1408/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-बांदा, जनपद-बांदा के ग्राम-बहिंगा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1409/जी0-155/2022-23/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बांसडीह, परगना-खरीद, जनपद-बलिया के ग्राम-शाहपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1410/जी0-163/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये

प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू०, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-हरदोई, परगना-बंगर, जनपद-हरदोई के ग्राम- माधौपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

24 अप्रैल, 2026 ई०

सं० 1619/जी०-157/2023-24/धारा-52(1)– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र०, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी

विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, अपर्णा यू०, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बेल्थरा रोड, परगना-सिकन्दरपुर गर्वी, जनपद-बलिया के ग्राम-पिपरौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

अपर्णा यू०,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 23, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर निगम बरेली

27 जनवरी, 2026 ई०

सं० 355/एस०टी०/न०आ०/2025-26-उत्तर प्रदेश, शासनादेश संख्या-415/नौ-8-23-89ज/2017 दिनांक 28 फरवरी, 2023 के अनुपालन में नगर निगम, बरेली द्वारा उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०-2 सन् 1959) धारा-541 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन शक्ति का प्रयोग कर बरेली नगर निगम सीमा में सुरक्षा या शौक के उद्देश्य से पाले जाने वाले श्वान के अनुज्ञप्ति, नियन्त्रण और विनियमन हेतु (श्वान के अनुज्ञप्ति, नियन्त्रण और विनियमन) उपविधि 2023 बनाई गयी।

नगर निगम बरेली (श्वान के अनुज्ञप्ति, नियन्त्रण और विनियमन) उपविधि 2023 प्रभावी किये जाने हेतु मा० सदन के समक्ष प्रस्ताव संख्या-6/80, 6/80-I, 6/80-II, 6/80-III प्रस्तुत किया गया जिसे मा० सदन की सर्व सहमति पर मा० महापौर जी नगर निगम बरेली के आदेश दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के क्रम में स्वीकृति प्रदान की गयी। मा० सदन की स्वीकृति के अनुपालन में तदनुसार 15 दिवस में कार्यालय स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम बरेली में आम-जन मानस से आपत्तियां आमंत्रित किये जाने हेतु उपविधि को नगर निगम की वे-बसाइट nagarnigambareilly.com पर अपलोड किया गया एवं प्रकाशन दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 को "दैनिक समाचार-पत्रों

हिन्दुस्तान, अमृत विचार व दैनिक जागरण” में प्रकाशित कराया गया है एवं आपत्ति हेतु जन-मानस को 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। निर्धारित अवधि के समय उपरान्त विभाग को दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। यह उपविधि राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से नगर निगम बरेली के क्षेत्र में प्रभावी होगी, जो निम्नवत् है—

बरेली नगर निगम (श्वान के अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन) उपविधि, 2023

(1) संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ—

(क) यह कि नगर निगम (श्वान के अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन) उपविधि 2023 कही जायेगी।

(ख) यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से की जायेगी।

(ग) यह बरेली नगर निगम की सीमा के अन्दर व्यक्ति द्वारा सुरक्षा व्यवस्था या शौक हेतु रखे गये श्वान के स्वामी पर लागू होगी।

(घ) इस निमित्त बनाई गयी या जारी की गयी उपविधि या निर्देश जो इस उपविधि के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त रही हो निष्प्रभावी हो जायेगी।

1— परिभाषाएँ— अब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई धारा प्रतिकूल न हो इस उपविधि में—

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम, 1959 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या—3 सन् 1959) से है।

(ख) नगर निगम का तात्पर्य बरेली नगर निगम से है।

(ग) श्वान से तात्पर्य ऐसे श्वान से है जिसको बरेली नगर निगम सीमा में सुरक्षा व्यवस्था या शौक के उद्देश्य से पाला जाये।

(घ) निरीक्षण अधिकारों का तात्पर्य नगर आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी/कर्मचारी से है।

(ङ) अनुज्ञापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी श्वान का स्वामी हो और जिसने इस उपविधि के अन्तर्गत बरेली नगर निगम की सीमा में सुरक्षा व्यवस्था अथवा शौक के लिये श्वान को पालने हेतु नगर निगम के नगर आयुक्त से अनुज्ञा प्राप्त कर ली है।

(च) अनुज्ञा का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से है।

(छ) वर्ष से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत होगा।

2— ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं है किन्तु उपविधि में प्रयुक्त है यही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

3— प्रतिषेध— कोई भी व्यक्ति बरेली नगर निगम की सीमा में किसी भी भवन अथवा स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था अथवा शौक के लिये किसी भी श्वान को नहीं पालेगा या पालने देगा जब तक सुरक्षा व्यवस्था अथवा शौक के लिये पाले गये श्वान के स्वामी द्वारा इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा न प्राप्त कर ली गयी हो।

4— अनुज्ञा और उसकी अवधि— प्रत्येक दृष्टि से संतुष्ट हो जाने के उपरान्त नगर आयुक्त द्वारा इस उपविधि के अधीन आवेदक द्वारा नगर निगम बरेली की सीमा में सुरक्षा अथवा शौक के उद्देश्य से श्वान को रखने/पालने हेतु एक वर्ष के लिये इस उपलब्ध पर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी कि अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय लाईसेन्स निलम्बित या निरस्त कर दिया जाये।

5— अनुज्ञा की शर्तें—

(1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो श्वान का स्वामी हो जाये अपने स्वामी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर अपने श्वान स्वामी होने के तथ्य को प्रपत्रों के साथ नगर आयुक्त या नगर निगम द्वारा नामित अधिकारी को सूचित करेगा।

(2) कोई भी श्वान स्वामी अपने श्वान को किसी सार्वजनिक स्थान यथा—गली, सड़क, पार्क या सड़क के आस-पास खुला नहीं छोड़ेगा।

(3) कोई भी श्वान स्वामी अपने श्वान को इस प्रकार से रखेगा या बाँधेगा कि उसके पड़ोसी या किसी अन्य व्यक्ति को श्वान से कोई आपत्ति न हो।

(4) श्वान गृह स्वच्छ होना आवश्यक होगा कि श्वान गृह को प्रतिदिन धुलाई एवं कीटनाशकों का छिड़काव करना आवश्यक होगा।

(5) प्रत्येक श्वान स्वामी अपने श्वान के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास में अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करेगा तथा एतद् पश्चात् यथा उपबन्धित औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरान्त ठीक अनुज्ञप्ति 1-वर्ष के लिये अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

(6) प्रत्येक श्वान स्वामी, लाईसेन्स प्राधिकारी/नगर आयुक्त को अनुज्ञा स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र में श्वान का लिंग, रंग, जाति तथा टीकाकरण, बधियाकरण से सम्बन्धित समस्त सूचना अंकित करेगा। श्वान स्वामी, अन्य कोई सूचना जो व्यक्तिगत प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा।

(7) जहाँ ऐसा कोई श्वान जिसके सम्बन्ध में श्वान स्वामी अनुज्ञा शुल्क के नगर निगम को भुगतान का उत्तर दायी हो, मर जाये, अथवा बँच दिया जाये या अन्य किसी व्यक्ति या स्थान को स्थानान्तरित कर दिया जाये तो श्वान स्वामी लाईसेन्स प्राधिकारी को तथ्य की सूचना घटना के 15 दिन के अन्दर लिखित रूप से प्रस्तुत करेगा।

(8) श्वान स्वामी के प्रत्यावेदन पर श्वान की नसबन्दी निर्धारित शुल्क जमा करने पर पशु चिकित्सक द्वारा की जायेगी।

(9) पिटबुल प्रजाति को पालना नगर निगम क्षेत्र से प्रतिबन्धित किया जाता है।

6— निरीक्षण का अधिकार एवं लाईसेन्स प्राधिकारी—

(क) नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी कैनल/श्वान गृह तथा श्वान की उचित देखभाल आदि का निरीक्षण किसी भी दिवस और किसी भी समय कर सकता है। श्वान स्वामी को इस निमित्त नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी/कर्मचारी लाईसेन्स प्राधिकारी होगा।

7— श्वान के रहने का स्थान—

(1) श्वान स्वामी अपने श्वान को स्वच्छ स्थान पर रखेगा और निम्नलिखित उपबन्धों का पालन करेगा।

(1)— श्वान के निवास हेतु (स्लीपिंग स्पेस) की निम्नवत् व्यवस्था करना श्वान स्वामी के लिये आवश्यक होगा।

क्र० सं०	श्वान पशु की संख्या/प्रति परिवार	आवासीय क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3
		वर्गगज—
1	02	200
2	04	300
3	05 या 05 से अधिक	श्वान पशु शेल्टर के प्रावधान लागू होंगे।

ख— श्वान गृह को नित्य कीटनाशक से साफ किया जायेगा।

ग— श्वान स्वामी की नियमित रूप से आवश्यक टीकाकरण कराना आवश्यक होगा।

8— अनुज्ञा शुल्क—

(1) श्वान स्वामी द्वारा श्वान के रखने हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क प्रतिवर्ष देय होगी।

क— छोटे श्वान (पालतू/नान ब्रीडिंग)	500 रु० प्रति श्वान
ख— बड़े श्वान (पालतू/नान ब्रीडिंग)	1,000 रु० प्रति श्वान
ग— ब्रीडिंग हेतु पाले जा रहे श्वान	5,000 रु० प्रति श्वान

(2) इस उपविधि के अधीन प्राप्त लाईसेन्स 1 अप्रैल से 31 मार्च अर्थात् एक वर्ष के लिये प्रभावी होगा।

प्रत्येक अनुज्ञा के साथ लाईसेन्स, प्राधिकारी द्वारा एक मेटल का टोकन, जिसका मूल्य श्वान स्वामी द्वारा अनुज्ञा शुल्क के साथ जमा करना आवश्यक होगा, श्वान स्वामी को प्रदान किया जायेगा। जिस श्वान की गर्दन में मजबूत चमड़े या अन्य किसी पट्टे के साथ बांधा जाना आवश्यक होगा जिससे कि निरीक्षण अधिकारी/कर्मचारी को स्पष्ट रूप से दिखायी दे।

9— अनुज्ञा का नवीनीकरण—

(1) अनुज्ञा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिये होगी और वर्ष में किसी भी मास में अनुज्ञा प्रदत्त होने पर पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

(2) अनुज्ञा का नवीनीकरण नगर आयुक्त/लाईसेन्स प्राधिकारी के पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(3) अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दशा में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ नगर निगम कोष में नवीनीकरण शुल्क जमा कर दिये गये होने की रसीद संलग्न की जायेगी।

(4) यदि ऐसा आवेदन-पत्र 2 मई के उपरान्त किन्तु 31 मई के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो नगर निगम अधिनियम, 1959 की अनुसूची में निर्धारित विलम्ब शुल्क 500/— रु० जमा करना आवश्यक होगा।

(5) यदि 1 जून को अथवा उसके पश्चात् आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में अनुज्ञा शुल्क, विलम्ब शुल्क के साथ अनुसूची में निर्धारित जुर्माना अंकन 50/— रु० प्रतिदिन दर से जुर्माना जमा करने के उपरान्त ही अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

10— अनुज्ञा का निलम्बन निरस्तीकरण— यदि किसी अनुज्ञाधारक द्वारा किसी भी समय लाईसेन्स की शर्तों अथवा लाईसेन्स में अभिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है/करता है जो कि सत्यापित हो जाता है तो उस स्थिति में अनुज्ञाधारक को बचाव का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् निलम्बित कर दी जायेगी अपराध सिद्ध की दशा में निरस्त कर दी जायेगी।

11— निषेध— अनुज्ञा निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने के उपरान्त उक्त अनुज्ञा के अधीन उक्त अनुज्ञाधारक को नगर निगम बरेली की सीमा में सुरक्षा व्यवस्था अथवा शौक के उद्देश्य से नहीं रख सकेगा। ऐसा पाये जाने की दशा में श्वान को जब्त कर लिया जायेगा।

12— प्रशमन/अपील—

(1) लाईसेन्स प्राधिकारी का प्रशमन निर्धारित दरों पर जुर्माना वसूल/जमा करने के उपरान्त कर सकेगा।

(2) लाईसेन्स प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध वाद उत्पन्न होने की दशा में नगर आयुक्त को आदेश के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी तथा नगर आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध मा० महापौर जी को अगले 30 दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। मा० महापौर जी का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

13— शास्ति— नगर निगम अधिनियम की धारा-550 के अन्तर्गत शास्ति का प्रयोग करके बरेली नगर निगम एतद् द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने की दशा में जुर्माना जो कि अंकन 5,000/—रु० तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में जुर्माने से जो प्रथम दोष सिद्ध की दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, अंकन 50/— रु० प्रतिदिन होगा, जो दण्डनीय होगा।

संजीव कुमार मौर्य,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, बरेली।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर

13 नवम्बर, 2025 ई०

सं० 1013/कर०अनु०/2025-26— उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम सं०-2 सन् 1916 ई०) की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर के मुँगरा बादशाहपुर नगर पालिका परिषद अपनी नगरीय सीमान्तर्गत खुले स्थानों पर प्लानिंग कर कालोनी विकसित करने वाले कोलोनाइजर्स को नियंत्रित एवं विनियमित करने तथा नगर क्षेत्र का सुनियोजित विकास करने के लिये “कोलोनाइजर (नई कालोनी के विकास हेतु) उपविधि 2025” को बोर्ड बैठक दिनांक 21.05.2025 प्रस्ताव सं० 4(10) द्वारा नगर पालिका सीमा में लागू करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। उक्त उपविधि का प्रारूप उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित करने के लिये और इस उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के दृष्टि से दैनिक समाचार-पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 21.09.2025 एवं दैनिक समाचार-पत्र आज में दिनांक 22.09.2025 के अंक में प्रकाशित किया गया उपविधि पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दिये गये समयावधि (30दिन) के भीतर कोई आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई उपविधि को नगर पालिका सीमा में लागू करने हेतु समाचार-पत्र में प्रकाशित प्रारूप मूलरूप में बोर्ड बैठक दिनांक 13.11.2025 प्रस्ताव सं०-03(1) द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है जिसे बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उपरोक्त उपविधि को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी गजट उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में प्रकाशित किया जाता है। उक्त उपविधि गजट की तिथि से नगर पालिका सीमा में प्रभावी होगा।

“कोलोनाइजर (नई कालोनी के विकास हेतु) उपविधि 2025”

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर में “कोलोनाइजर (नई कालोनी के विकास हेतु) उपविधि 2025” कहा जायेगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

1— संक्षिप्त नाम एवं प्रसार :— (1) यह उपविधि “नगर पालिका परिषद, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर कोलोनाइजर (नई कालोनी का विकास) उपविधि 2025” कहलायेगी।

(2) इस उपविधि का प्रसार नगर पालिका परिषद, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर की सीमा के अन्तर्गत विकसित होने वाली सभी कालोनियों पर होगा। यह उपविधि उन कालोनियों पर भी लागू होगी जो कि पूर्व में किसी कोलोनाइजर द्वारा विकसित की जा चुकी है अथवा विकसित होने की प्रक्रिया में हैं।

(3) उक्त उपविधि गजट की तिथि से नगर पालिका सीमा में प्रभावी होगी।

2— परिभाषयें—

(1) अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 व आवास एवं विकास अधिनियम, 1965 (यथा संशोधित अधिनियम, 2008) एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 से है।

(2) परिवर्तन अथवा परिवर्धन से तात्पर्य भवन की संरचना में होने वाले किसी भी परिवर्तन अथवा परिवर्धन से है जिसके अंतर्गत दीवार, छज्जा, दरवाजा, खिड़की, छत इत्यादि सभी सम्मिलित हैं।

(3) बेसमेंट से तात्पर्य भू-तल से नीचे या अंशतः भू-तल के नीचे के निर्माण से है।

(4) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(5) अध्यक्ष/प्रशासक से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर के अध्यक्ष या प्रशासक से है।

(6) बोर्ड से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था से है।

(7) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में दिये गये प्राविधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

(8) "नक्शा नफीस/मानचित्रकार/ड्रॉफ्टमैन" का अभिप्राय नगर पालिका परिषद, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर के अनुज्ञा/लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नफीस से है।

(9) कोलोनाइजर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके द्वारा किसी कालोनी का निर्माण एवं विकास किया गया है।

(10) "भू-खण्ड" का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है जो चारों ओर निश्चित सीमाओं से घिरा है।

(11) "खुले स्थान" का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जो भू-खण्ड का अभिन्न भाग हो और आकाश तक खुला हो।

(12) शमन शुल्क से तात्पर्य उस शुल्क से है, जो कि किसी व्यक्ति पर इस उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप दण्ड हेतु लगाया गया है।

3— नई कालोनी के निर्माण एवं विकास हेतु नियम व शर्तें :—

कोई भी व्यक्ति/कोलोनाइजर जो कि नगर पालिका परिषद, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर की सीमा के अन्तर्गत नयी कालोनी का निर्माण एवं विकास करना चाहता है उसे निम्न लिखित नियम व शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

1. कोलोनाइजर को नई कालोनी का निर्माण करने से पूर्व एक लिखित प्रार्थना-पत्र/आवेदन-पत्र निर्धारित शुल्क व दस्तावेजों/अभिलेखों के साथ नगर पालिका परिषद, में स्वीकृति हेतु जमा करना होगा।
2. यदि किसी भी नई कालोनी में निर्माण कार्य/विकास इस उपविधि के लागू होने के पश्चात् बिना नगर पालिका परिषद, की अनुमति/स्वीकृति के शुरू किया गया हो तो कोलोनाइजर को एक अवसर विनियमित कराने हेतु नोटिस के माध्यम से दिया जायेगा, जिसमें नगर पालिका परिषद, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर बोर्ड/अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित शमन शुल्क लेकर स्वीकृति हेतु 15 दिन का अधिकतम समय दिया जायेगा।
3. यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु नगर पालिका परिषद, में कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो नगर

पालिका परिषद, को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह 3 दिन के अन्तिम अवसर का नोटिस देते हुये नई कालोनी में हुये निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दें तथा ध्वस्तीकरण में आने वाले खर्च को सम्बन्धित कोलोनाइजर से नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय-6 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार वसूल कर लें।

4. नई कालोनी के विकास हेतु जो भी आवेदन नगर पालिका परिषद, के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, उनमें अधिकतम 30 दिनों के अन्दर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का निर्णय अधिशासी अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। यदि बिना किसी यथोचित कारण के 30 दिन के अन्दर स्वीकृति/अस्वीकृति पर निर्णय नहीं लिया जाता है अथवा विलम्ब किया जाता है तो उसे स्वतः ही स्वीकृत माना जायेगा।
5. स्वतः स्वीकृति के सभी मामलों में यह प्रतिबन्ध होगा कि कोलोनाइजर द्वारा नगर पालिका परिषद, द्वारा निर्धारित शुल्क/शमन शुल्क व नियम शर्तों का अनुपालन किया गया है।
6. नई कालोनी में सभी आवश्यक सुविधायें यथा—बिजली, पानी, सड़क, सफाई, जलनिकासी इत्यादि की व्यवस्था कोलोनाइजर को अनिवार्य रूप से करनी होगी।
7. कोलोनाइजर को कालोनी का निर्माण एवं विकास से सम्बन्धित सभी सुविधायें स्वीकृति मिलने के 2 वर्ष के अन्दर कराना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् उसे निर्धारित शुल्क जमा कर पुनः स्वीकृति लेनी होगी। पुनः स्वीकृति 1—1 वर्ष हेतु अधिकतम 3 बार ही दी जा सकती हैं जिस पर अन्तिम निर्णय अधिशासी अधिकारी का होगा, जो की बाध्यकारी होगा।
8. आवेदन के साथ एक निर्धारित धनराशि सिक्योरिटी के रूप में नगर पालिका परिषद, के पास बन्धक के रूप में होगी, जो कि इस उपविधि के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर जब्त कर ली जायेगी।
9. सिक्योरिटी धनराशि को अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा जाँच उपरान्त पूर्णतः प्रमाण-पत्र निर्गत करने के उपरान्त ही जारी की जायेगी।
10. नई कालोनी विकसित करने से पूर्व सभी कृषिगत भूमि को अकृषिगत उपयोग में लाने हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की सुसंगत धारा अथवा जो भी नियमानुसार प्रक्रिया है, कराना अनिवार्य होगा।
11. कालोनी की सड़क के कम से कम 4 मीटर चौड़ी होगी तथा मुख्य सड़क से पहुँच मार्ग कम से कम 8 मीटर चौड़ी होगी, दोनों तरफ नाली, मकान का छज्जा एवं सीढ़ी चबूतरा अपनी जमीन पर बनाना होगा, प्लाटिंग की जमीन में रोड के नाली के हिसाब से ऊँचाई रखी जायेगी।
12. कालोनी में पार्क आदि का निर्माण करना होगा।
13. कालोनी में वृक्षों की व्यवस्था कालोनी स्वीकृत कराने वालों की होगी।
14. सड़कों को यथा सम्भव समकोण पर मिलाया जायेगा।
15. कालोनी में सभी सुविधायें विकसित करने तथा कोलोनाइजर द्वारा पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कालोनी नगर पालिका परिषद, के प्रबन्धन में जायेगी।
16. नगर पालिका परिषद, के प्रबन्धन में आने के पश्चात् कालोनी में विभिन्न सुविधाओं एवं उनका रख-रखाव का दायित्व नगर पालिका परिषद, का होगा।
17. व्यवसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

4— पूर्व विकसित कालोनी को विनियमित करने हेतु दिशा—निर्देश व शर्तें—

नगर पालिका परिषद, द्वारा ऐसी सभी कालोनियां जो की इसी उपविधि के लागू होने से पूर्व विकसित हो गयी हैं या निर्माणधीन है, उनको नगर पालिका परिषद, द्वारा नोटिस के माध्यम से विनियमित करने हेतु अवसर प्रदान किया

जायेगा। नोटिस की अवधि 15 दिन की होगी। यदि ऐसी कालोनियों को इस उपविधि के लागू होने से पूर्व नोटिस निर्गत किया गया है। तो वह विधि मान्य होगा। ऐसी सभी कालोनियाँ जो कि इस उपविधि के लागू होने से पूर्व विकसित हुई हों एवं इनको 5 वर्ष या इससे अधिक समय बीत गया हो तथा इसके अर्न्तगत आने वाले मकानों पर नगर पालिका परिषद, द्वारा कर अधिरोपित कर रखा हो तो ऐसी कालोनियों में सड़क, पानी, बिजली एवं साफ-सफाई की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद, बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जा सकता है जो कि विधिमान्य होगा।

5— पूर्व कालोनियों को विनियमित करने की प्रक्रिया:—

- (1) नगर पालिका परिषद, द्वारा ऐसी सभी कालोनियों को चिन्हित करते हुये सम्बन्धित कोलोनाइजर/व्यक्तियों को नोटिस निर्गत किया जायेगा, जिसमें उनसे अपेक्षा की जायेगी कि वह नगर पालिका परिषद, द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हुये विधिवत रूप से दस्तावेजों सहित आवेदन नगर पालिका परिषद, कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- (2) नगर पालिका परिषद, द्वारा दी गयी नोटिस की अवधि 15 दिन की होगी, जिसमें शर्तों का उल्लेख किया हुआ होगा।
- (3) यदि इस सम्बन्ध में पूर्व में नोटिस निर्गत किया गया हो तो वह भी विधिमान्य होगा।
- (4) नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहने पर सम्बन्धित कोलोनाइजर/व्यक्तियों को नई कालोनियों को विनियमित करने हेतु अन्तिम अवसर देते हुये पुनः 7 दिन का नोटिस दिया जायेगा, यदि इसके पश्चात् भी कोलोनाइजर द्वारा नगर पालिका परिषद, द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हुये उसको विनियमित नहीं कराया जाता है तो उक्त कालोनी को अवैध मानते हुये नगर पालिका परिषद, द्वारा ध्वस्त कराया जा सकता है तथा ध्वस्तीकरण का समस्त खर्च सम्बन्धित कोलोनाइजर/व्यक्ति से वसूला जायेगा।
- (5) इस उपविधि की किसी भी शर्त अथवा समस्त शर्तों को शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष में निहित होगा।
- (6) उ0 प्र0 राजस्व संहिता-2006 की सुसंगत धारा अर्न्तगत उस क्षेत्र को अकृषिगत कराना अनिवार्य होगा।
- (7) नगर पालिका परिषद, द्वारा ऐसे सभी आवेदन जो की नगर पालिका परिषद, कार्यालय में स्वीकृति/अनुमति हेतु प्राप्त हुये हैं, उन पर 30 दिन के अन्दर निर्णय लेना होगा अन्यथा कोलोनाइजर द्वारा कार्य शुरू किया जा सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि 30 दिन की यह अवधि तब लागू नहीं जब कोलोनाइजर से किसी कार्य को करने या दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी हो।

6— विशेष उपबन्ध :-

नगर पालिका परिषद, बोर्ड जनहित में इस उपविधि के पूर्व विकसित/निर्मित कालोनियों में सड़क, बिजली, पानी, साफ-सफाई जैसे बुनियादी सुविधा देने हेतु निर्णय ले सकता है, यदि इस उपविधि के लागू होने से पूर्व नगर पालिका परिषद, द्वारा जनहित में ऐसी किसी भी कालोनी में निर्माण कार्य या अन्य कोई बुनियादी सुविधा दी गयी हो तो वह अवैध नहीं होगी, भले ही ऐसी कालोनियों को विकसित करने वाले कोलोनाइजर को नोटिस दिया गया हो।

7— आवेदन-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज:—

- (1) स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज।
- (2) शपथ-पत्र।
- (3) मानचित्र की प्रति।
- (4) शुल्क की प्रतिलिपि।

- (5) 10 रु0 प्रति स्क्वायर फुट।
- (6) कालोनी हेतु भूमि किस-किस व्यक्ति से क्रय की गयी है, उनके नाम व पता।
- (7) अन्य कोई दस्तावेज जिसकी नगर पालिका परिषद, द्वारा मांग की जाये।

8— कोलोनाइजर हेतु “की प्लान” :-

कालोनी के विकास या पुर्नविकास की अनुज्ञा हेतु आवेदन-पत्र के साथ “की प्लान” जिसमें उत्तर दिशा-सूचक और पैमाना (जो 1:10,000 से कम न हो) तथा उप-विभाजन हेतु प्रस्तावित भूमि की स्थिति को दर्शाया गया हो।

9— कोलोनाइजर हेतु साइट प्लान :

- (1) आवेदक के स्वामित्व की भूमि के सजरा संख्या/आराजी नं0 या अन्य स्थानीय प्राविधानों सहित सीमावर्ती भूमि के विवरण दिये जायेंगे।
- (2) सीमावर्ती भूमि आवेदक के स्वामित्व में होने पर तथा पूर्व में उप-विभाजन स्वीकृत होने पर उसमें उपलब्ध सुविधाओं और प्रस्तावित स्थल हेतु विद्यमान पहुँच मार्गों का भी उल्लेख होगा।
- (3) प्रस्तावित उप-विभाजन में स्थल से मुख्य सड़क या मार्ग तक पहुँचने के स्थान की वर्तमान दूरी, सड़क का नाम एवं चौड़ाई के उल्लेख सहित दर्शाये जायेंगे।
- (4) समस्त विद्यमान संरचनाओं और फीचर्स की स्थिति जैसे हाईटेंशन लाइन, आदि जो की स्थल की सीमा से 30 मीटर के भीतर हो, दर्शाई जायेंगी।

10— उप-विभाजन तलपट मानचित्र:-

उप-विभाजन तलपट मानचित्र 10 हेक्टेयर तक के भू-खण्डों हेतु 1:500, 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर तक के भू-खण्डों हेतु 1:1000 तथा 50 हेक्टेयर से अधिक के भू-खण्डों हेतु 1:2000 के पैमाने पर होगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाये जायेंगे।

- (1) पैमाना तथा उत्तर दिशा-सूचक।
- (2) स्थल के अन्दर समस्त प्रस्तावित एवं विद्यमान सड़कों की चौड़ाई।
- (3) सर्विसेज प्लान जिसमें नालियाँ, वाटर-सप्लाई नेटवर्क, सीवर, इलेक्ट्रिक लाइन्स, सामुदायिक सुविधायें एवं सेवायें, आदि एवं इनकी वाहय विद्यमान/प्रस्तावित सुविधाओं के साथ संयोजन की व्यवस्था दर्शायी गयी हो।
- (4) तालिका जिसमें उप-विभाजन तलपट मानचित्र के अन्तर्गत समस्त भू-खण्डों के आकार, क्षेत्रफल और उपयोग का विवरण दिया गया हो।
- (5) तालिका जिसमें स्थल का सम्पूर्ण क्षेत्र, सड़कें, खुले स्थान, विभिन्न उपयोगों के भू-खण्ड यथा आवासीय, व्यवसायिक, सामुदायिक सुविधायें तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग (जो उप-विभाजन के प्रस्तावित हों), के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का विवरण।
- (6) निर्मित क्षेत्र में स्थित भू-खण्डों हेतु प्रस्तावित उप-विभाजन की दशा में उपर्युक्त वर्णित विवरण के अतिरिक्त विद्यमान सड़क से पहुँच मार्ग की सुविधा भी दर्शाई जायेंगी।
- (7) लैण्डस्केप प्लान (वृक्षारोपण सहित)।

(8) ग्राउन्ड वाटर के संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा निम्न प्राविधान सुनिश्चित कराये जायेंगे :-

- (1) 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू-जल की रिचार्जिंग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाये, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुये जलाशय में वर्षा जल के सम्भावित ठहराव (रिटेन्शन) व स्टेगनेशन का अध्ययन कर उसके अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाये, परन्तु जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाये।
- (2) पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाये तथा वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाये।
- (3) सड़को, पार्कों तथा खुले स्थान में ऐसे पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे भरे रह सकें।

11— विशिष्टियाँ :-

कोलोनाइजर द्वारा आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विशिष्टियाँ व विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे।

- (1) प्रस्तावित समस्त विकास कार्यो यथा सड़कों और गलियों की सामान्य विशिष्टियाँ, उनके ढाल और पविंग, नालियाँ (साइड ड्रेन), पेयजल आपूर्ति का प्रावधान, मल व कूड़ा निस्तारण का प्रबन्ध, मार्ग-प्रकाश खेल के मैदान, पार्क और सामुदायिक उपयोग विकास के विवरण।
- (2) स्थल के समीप उपलब्ध वाह्य अवस्थापना सुविधायें यथा सीवेज निस्तारण स्थल, जल-निकासी व्यवस्था (नाला आदि), मुख्य सड़क, विद्युत-आपूर्ति व्यवस्था, जल हेतु स्रोत इत्यादि।

12— विकास अनुज्ञा-पत्र की वैधता :-

एक बार दी गई अनुज्ञा अधिकतम 2 वर्षों के लिये वैध होगी।

उक्त अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र नगर पालिका परिषद, से प्रक्रियानुसार प्राप्त किया जायेगा।

प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि में नगर पालिका परिषद, द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर एक-एक वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम 3 बार वृद्धि की जा सकती है।

13— विकास के समय विचलन:-विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व नगर पालिका परिषद, से अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी।

14— पूर्णता प्रमाण-पत्र:- विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग सी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर नगर पालिका परिषद, द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

15— लैण्डस्केप प्लान:- अधिशासी अधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृति के पूर्व लैण्डस्केप प्लान/वृक्षारोपण के निम्न प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा तथा पूर्णता-पत्र जारी करने से पूर्व स्थल पर वृक्षारोपण की पुष्टि भी की जायेगी:-

- (1) 6 मीटर तथा इससे अधिक परन्तु 12 मीटर से कम चौड़ी सड़को के एक ओर तथा 12 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर अधिकतम 10—10 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण किया जायेगा। अधिक चौड़ाई

की सड़कों में डिवाइडर, फुटपाथ एवं ब्लैक टॉप के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा।

(2) बड़े प्रदूषणकारी उद्योग को आवासीय क्षेत्र से सघन वृक्षारोपण द्वारा पृथक किया जायेगा जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(3) वाणिज्यिक योजना में कुल खुले स्थल के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर 'ग्रीनरी' होगी जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेगा।

(4) संस्थागत, सामुदायिक सुविधायें, क्रीडास्थल/खुले क्षेत्रों तथा पार्क के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर 'ग्रीनरी' होगी जहाँ न्यूनतम 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण किया जायेगा।

16— आवासीय भू-उपयोग—

आवासीय भू-उपयोग के विकास में सड़कों एवं नालियों का नियोजन निम्नवत् किया जायेगा :—

200 मीटर तक लम्बे पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 4 मीटर होगी, तथा 201—400 मीटर तक 6 मीटर, 401—600 मीटर तक 10 मीटर एवं 601—1000 मीटर तक 12 मीटर तथा 1000 मीटर से अधिक लम्बे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 15 मीटर होगी।

17— अनावासीय भू-उपयोग—

अनावासीय क्षेत्र यथा व्यवसायिक, कार्यालय एवं औद्योगिक भू-उपयोग में किसी भी सड़क की चौड़ाई 9 मीटर से कम नहीं होगी, जिसकी लम्बाई अधिकतम 200 मीटर होगी।

18— सड़कों के संगम—

(1) यथा सम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेगी तथा क्रॉस जंक्शन पर समस्त सड़कों की मध्य रेखाओं का 'एलाइन्मेंट' एक सीध में होगा।

(2) सड़कों के जंक्शन इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार होंगे।

19— सड़क की लम्बाई की गणना—

सड़क की लम्बाई की गणना उस मार्ग से अधिक चौड़े मार्ग के मिलन बिन्दु से की जायेगी।

20— ड्रेनेज व्यवस्था—

ड्रेनेज व्यवस्था हेतु नालियां सड़क का अभिन्न अंग होंगी तथा उनमें पर्याप्त ढाल होगा, ताकि जल की निकासी स्वतः हो सके।

21— बेसमेन्ट—

(1) 200 वर्गमीटर तक के गैर-व्यवसायिक भवनों में बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा, जबकि 200 वर्गमीटर तक के व्यवसायिक भवनों में अनुमन्य भू-आच्छादन के अधिकतम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल में बेसमेन्ट अनुमन्य होगा।

(2) सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम होने की दशा में व्यवसायिक भू-खण्डों में बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

22— सक्षम प्राधिकारी— इस उपविधि को लागू कराने हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी होगा। इस उपविधि में प्रावधानित किसी भी शर्त अथवा प्रावधान को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से

शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका परिषद, बोर्ड में निहित होगा जो कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

23- **संशोधन**— इस उपविधि में संशोधन नगर पालिका परिषद, बोर्ड के दो तिहायी सदस्यों के बहुमत से किया जा सकेगा।

24- **शिथिलीकरण**— इस उपविधि के किसी भी प्राविधान/शर्तों को शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा।

दण्ड

25-यदि कोई भी व्यक्ति इस उपविधि में दिये गये प्रावधानों/शर्तों का उल्लंघन करते हुये कालोनी का निर्माण करता है तो उसे अवैध माना जायेगा तथा नगर पालिका परिषद, द्वारा उस पर न्यूनतम रु० 50,000/- का जुर्माना करते हुये ध्वस्त करने की कार्यवाही की जायेगी तथा प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उपविधि का उल्लंघन का अपराध लगातार किया जा रहा है। ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जुर्माना 100 रु० प्रतिदिन रहेगा। सभी अवैध कालोनियों को विनियमित करने का निर्णय शमन शुल्क के साथ नगर पालिका परिषद, बोर्ड/अधिशासी अधिकारी का होगा जो कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

कपिलमुनि,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत, अनपरा, सोनभद्र

10 नवम्बर, 2025 ई०

सं० 560/न०प०अ०/2025-26—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश सं०-6433/33/नौ-96 दिनांक 07 नवम्बर, 1996 के क्रम में नगर पंचायत अनपरा द्वारा अपने सीमा अन्तर्गत **मच्छर जनित एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं प्रबन्धन निमित्त विनियम उपविधि 2024 बनायी है**, नगर पंचायत अनपरा द्वारा उपविधि के प्रारूप या उसके किसी भाग पर उक्त ऐक्ट की धारा-301 की उपधारा (1) के अधीन समस्त निवासियों को सूचना एवं आपत्ति/सुझाव के दृष्टि से पत्रांक संख्या-892/न०प०अ०/यू०चा० नियमावली/अधि०/2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 द्वारा दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र **हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं यूनाईटेड भारत** में 15 दिवस के लिये प्रकाशन कराया गया था। निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त सुझाव व आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त नगर पंचायत अनपरा निम्नानुसार नगर पंचायत (मच्छरजनक) स्थितियों पैदा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि, 2022 बनायी है, जो उ०प्र० राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

1- (1) यह उपविधि नगर पंचायत (मच्छरजनक) स्थितियों पैदा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि, 2024 कहलायेगी।

(2) यह नगर पंचायत की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त मानी जायेगी।

परिभाषाये—

2- (1) जब तक की सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में।

(क) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

(ख) “अधिनियम” का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ग) “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा से है।

(घ) “नगर पंचायत” की सीमा का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित नगर पंचायत अनपरा की सीमायें या भविष्य में बढ़ने या घटने से निर्धारित हो कर प्रभावित होने वाली सीमा से है।

(ङ) अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

प्रतिषेध—

3— कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में—

(1) पानी को ऐसे जमा नहीं होने देगा या बहने नहीं देगा कि जिससे मच्छर अपना प्रजनन (ब्रीडिंग) कर सके या उनके उसमें प्रजनन करने की सम्भावना हो।

(2) इस क्षेत्र में न तो खुद पानी जमा होने देगा और न दूसरे को ऐसा करने की इजाजत या अनुमति देगा और न किसी भी प्रकार से पानी को वहां जमा या संचित होने देगा जिसमें मच्छर पैदा होते हों या उनके पैदा होने की सम्भावना हो। ऐसा वह उसी हालत में होने देगा जब उस पानी का इस प्रकार उपचार (ट्रीटमेंट) हो गया हो कि उसमें मच्छर पैदा ही न हो पायें।

जन विज्ञापन—

4— किसी भी स्थिर पानी बहते पानी के जल-निकाय (वाटर बाडी) में यदि लावे जायें तो वह इस बात के प्रमाण होंगे कि उस पानी में मच्छरों की ब्रीडिंग हो रही है।

5— (1) नगर स्वास्थ्य अधिकारी जिन रुके हुये या बहते हुये पानी के स्थानों में मच्छर पनप रहें हो, या उनके पनपने की सम्भावना हो, उस सभी के स्वामियों (ओनरों) अभिग्राहियों (आक्यूपायरों) को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करके निर्दिष्ट समय में जो (चौबीस घण्टों से कम नहीं) भौतिक रसायनिक अथवा जैविक किसी भी विधि से या अन्य किसी ऐसे उपयुक्त उपाय से जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी उचित समक्षता हो, उन प्रजनन स्थलों को उपचारित (ट्रीट) करवायेगा।

मच्छरों के प्रजनन स्थलों (ब्रीडिंग प्लेसेज) की कीटनाशक उपचार—

(2) यदि उपविधि (क) के अन्तर्गत अभिग्राही आक्यूपायर किरायेदार लीज आदि पर आवास लेने वाले को नोटिस दिया जाता है और इसके विपरीत में कोई कारनामा व्यक्त (एक्सप्रेसड) या व्यजित (इम्प्लाइड) नहीं हुआ है तो मालिक से उसके द्वारा नोटिस में बताये गये उपायों पर खर्च की गई उचित धनराशि मांग सकता है अथवा उसे किराये में काट सकता है जो उसे मकान मालिक को देना होगा।

व्यतिक्रम अथवा चक्र पर कार्यवाही—

6— यदि उपविधि 5(1) के अन्तर्गत वह व्यक्ति जिस पर नोटिस जारी किये गये हैं बताये गये उपायों करने से इन्कार देता है या नोटिस में निहित उपचार निर्दिष्ट समय में करवा सकता है और इसका खर्चा जैसी भी स्थिति मालिक या किरायेदार से वसूल कर सकता है मानों सम्पत्ति कर का बकाया हो।

मच्छर रोधी संरचनाओं की सुरक्षा—

7— किसी भी जमीन पर या भवन मच्छरों के प्रजनन रोकने के लिये सरकार ने स्थानीय प्राधिकरण या सर्वे निर्देश से अभिग्राही (आक्यूपायर) ने यदि कोई नियम करवाया है तो अधिशासी अधिकारी उस जमीन या भवन उपयोग

किसी ऐसे काम के लिये रोक सकता है जो मच्छर-रोधी इन संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने या कार्य कुशलता में गिरावट लायें।

मच्छर निवारण/नियंत्रण कार्य में दखल अन्दाजी या हस्तक्षेप पर रोक—

8— अधिशासी अधिकारी की अनुमति बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्मित संरचना या सामग्री या वस्तु से जो उन स्थल पर या उन भवन में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिये मुख्य अधिशासी अधिकारी के आदेश से बनी हो या रखी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा न उसे बिगाड़ेगा, नष्ट करेगा और बेकार करेगा। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा उस उपविधि का उल्लंघन किया जाता है तो अधिशासी अधिकारी फिर उस रचना (स्ट्रक्चर) को बनवायेगा या उन सामग्री के स्थान पर नई सामग्री रखेगा और उसका खर्च उस व्यक्ति से वसूल करेगा मानों वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

प्रत्येक पात्र—

9— घर, भवन रेड (सायबान) या जमीन का मालिक या किरायेदार वहां पर कोई बोटल, बर्तन बाल्टी डिब्बा या अन्य कोई पात्र, साबुत या टूटा हुआ, इस तरह से नहीं रखेगा कि उसमें पानी जमा होने की सम्भावना हो या पानी भरा रहें, जिससे उसमें मच्छर पैदा हों।

10— निर्माण कार्य जैसे सड़क निर्माण करने, रेलवे लाइन डालने, घाट बनाने के समय जमीन में खोदे गये गड्ढे (बोर पिट) इस प्रकार होंगे कि उनमें पानी न भरा रहें। जहां भी सम्भव और व्यवहार्य हो, इन बोर पिटों के किनारे को साफ रखा जाये। एक प्रतिशत का अतिरिक्त खर्च इस काम के लिये किया जाये। बोर पिट के तले में इस प्रकार का ढाल और रूप दिया जाये कि नालियों से पानी एक बोर पिट से निकल कर दूसरे में चला जायें और आखिर में सबसे समीप के नाले में गिर जाये। कोई भी व्यक्ति अलग से कोई बोर पिट नहीं बनवायेगा जिसमें पानी जमा हो और मच्छर पैदा हो।

11— यदि मच्छरों की रोकथाम की किसी योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद हो, या इन उपबन्धों के अन्तर्गत कोई ऐसा निर्माण कार्य हो जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार भी उलझी हो, तो इस मामले में भारत सरकार का फैसला अन्तिम होगा।

स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिसर (प्रेमिसेज) में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकारी—

12— अधिशासी अधिकारी उचित समय पर लिखित नोटिस या सूचना देने के बाद विवेक समस्त पर घरों में प्रवेश कर सकेगा। अपने क्षेत्राधिकार की किसी जमीन या भवन में प्रवेश और इस या भवन का मालिक या किरायेदार जैसा भी हो, इस प्रवेश और निरीक्षण में अपनी पूरी सहायता देगा और वह सभी जानकारी देगा जिसकी मच्छर जनित रोगों/मलेरिया नियन्त्रण कार्य में जरूरत है।

दण्ड

नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र अपनी सीमान्तर्गत लागू उपविधि के किसी भी पैरा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आर्थिक दण्ड निर्धारित करते हुये प्रति प्रकरण रु० 200/- प्रतिदिन दण्ड के रूप में वसूल करेंगी। यदि कोई व्यक्ति दण्ड देने में असमर्थ रहता है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति करने का अधिकार नगर पंचायत में निहित है।

(ह०) अस्पष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, अनपरा,
सोनभद्र।

कार्यालय, नगर पंचायत, अनपरा, सोनभद्र**अन्तिम अधिसूचना**

10 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 560(1)/न0पं0अ0/2025.26—नगर पालिका अधिनियम, 1916 व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं सफाई प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क उपविधि 2024 बनायी है, नगर पंचायत अनपरा द्वारा उपविधि के प्रारूप या उसके किसी भाग पर उक्त ऐक्ट की धारा-301 की उपधारा (1) के अधीन समस्त निवासियों को सूचना एवं आपत्ति/सुझाव के दृष्टि पत्र संख्या 891/न0पं0अ0/शु0उ0प्र0 नियमावली/अधि0/2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 द्वारा दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं यूनाईटेड भारत में 15 दिवस के लिये प्रकाशन कराया गया था। निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त सुझाव व आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त नगर पंचायत अनपरा निम्नानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं सफाई प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क उपविधि 2024 है, जो उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

1— संक्षिप्त नाम तथा परिभाषा—ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं सफाई प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क उपविधि नियमावली 2024

(अ) यह नियमावली/उपविधि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2024 कहलायेगी।

(ब) यह उपविधि नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र सीमान्तर्गत लागू होगी।

2— परिभाषाये— विषय अथवा में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—

(क) अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) इस नियमावली में अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) प्राधिकारी का अर्थ— नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र के अधिशासी अधिकारी से होगा।

(घ) प्राधिकारी संस्था— नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र से है।

(ङ) अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(च) “नगर पंचायत” की सीमा/क्षेत्र का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित नगर पंचायत अनपरा की सीमायें या भविष्य में बढ़ने या घटने से निर्धारित हो कर प्रभावित होने वाली सीमा से है।

क्षेत्र— यह उपविधि नगर पंचायत अनपरा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में समान रूप से प्रभावशाली होगी।

1— समस्त निवासियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में उल्लिखित नियमों के अनुसार अपने स्थल पर उत्सर्जित/उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को उद्गम स्थल पर तीन हिस्सों में गीला सूखा एवं परिसंकटमय अपशिष्टों में तीन क्रमशः हरा, नीला व लाल ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र द्वारा निर्धारित कूड़ा चुनने वाले अथवा डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहकर्ता को निर्धारित मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। ताकि आम सड़को मार्गों पर नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गंदगी कूड़ा-करकट नहीं फैले।

2— कोई व्यक्ति व संस्था निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने परिसर में भंडारित करेगा एवं Construction and Demolition Waste Rule, 2016 के अनुसार निपटान करेगा।

3— नगर में स्थित सभी को-आपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि आवश्यक धनत्व में उपर्युक्त स्थान पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कंटेनर (नीला व हरा रंग के) स्थापित करेंगे जिनमें दैनिक उत्सर्जित कचरे का पृथक-पृथक भंडारण हो सके जिसका निस्तारण नगर पंचायत द्वारा निर्धारित देय यूजर चार्ज देकर करायेगा।

4— कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपशिष्ट को गली/मार्गों व खुले सार्वजनिक स्थानों नाली/नाला या जलाशयों में न फेंकेगा न जलायेगा और न ही गाड़ेगा। उपविधि का पालन न करने की दशा में रु0 5,000/- का जुर्माना वसूल किया जायेगा अथवा न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

5— कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपने आवास के समीप खाली स्थानों पर कूड़ा नहीं डालेगा न डालने देगा कूड़े के समीप निवासी को जिम्मेदार समझा जायेगा, जिसके लिये निकाय निर्धारित चालान करने में समर्थ होगा एवं अभियोग दायर किया जा सकेगा।

6— बूचड़ खानों, मांस-मछली बजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है का प्रबन्ध ऐसी रीति से किया जायेगा कि ऐसे अपशिष्ट को उपयोग में लाया जा सकें ऐसे व्यवसायियों को इस प्रकार के अपशिष्ट को पृथक से एकत्र करने एवं नगर पंचायत के कलेक्शन वाहन को प्रतिदिन हैण्ड ओवर करने का प्रबन्ध करते हुये निम्नानुसार नगर पंचायत को मासिक यूजर चार्ज देकर निस्तारण सुनिश्चित कराना होगा।

7— अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, क्लीनिक, लैबोरेटरी आदि द्वारा जैव चिकित्सीय को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जायेगा। अस्पतालों, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक आदि के प्रबन्धन द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट नियम, 2016 का अक्षरशः अनुपालन करना होगा, तथा अन्य कूड़े को नगर पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज देते हुये नगर पंचायत के व्यवस्थानुसार कराया जायेगा।

8— कोई भी व्यक्ति/निवासी अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भण्डारित करेगा और समय-समय पर नगर निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क (यूजर चार्ज) देकर निपटान करेगा।

9— कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी निर्माण सामग्री को किसी दशा में सार्वजनिक स्थान पर नहीं डालेगा। अनाधिकृत रूप से निजी मलवा/सामग्री डालना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

10— अपशिष्ट कूड़ा करकट सूखी पत्तियों को जलाया नहीं जायेगा।

11— कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन दिवस पूर्व स्थानीय निकाय/नगर पंचायत को सूचित किये बगैर किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्ति से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा और पृथक, अपशिष्ट को पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज जमा कर निर्धारित अपशिष्ट संग्रहण अधिकरण को सौंपेगा।

12— मार्ग विक्रेता जिसके अन्तर्गत फेरीवाला, गली की लेन, सार्वजनिक पार्कों, सार्वजनिक स्थानों या प्राइवेट स्थानों पर अस्थाई निर्मित संरचना पट या घूम-घूम कर व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं को उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के निपटान हेतु ढक्कन युक्त कूड़ा पात्र रखना होगा।

13— कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत द्वारा स्थापित अपशिष्ट कूड़ेदान के बाहर कूड़ा नहीं फेंकेगा। निर्धारित कूड़ेदान में निर्धारित अपशिष्ट डालेगा।

14— पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों शहर के किसी अन्य स्थान के आस-पास घूमने नहीं दिया जायेगा इसका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबन्ध करना होगा।

15— कोई भी व्यक्ति अपने भवन संस्थान व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी, कीचड़ पानी, नाईट स्वाइल, गोबर, मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर में किसी प्रकार एकत्रित नहीं करेगा न सार्वजनिक मार्गों एवं नालियों में बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो व जन स्वास्थ्य को हानि होने की संभावना हो अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरुद्ध जुर्माना वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

16— कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक स्थानों इत्यादि पर नहीं डालेगा। नगर पंचायत को निर्धारित यूजर चार्ज देकर उसका निपटान करायेगा।

17— नगर पंचायत सीमा के अन्दर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों से पॉच सौ रुपये एवं पेशाब करने वाले व्यक्तियों पर सौ रुपये जुर्माना वसूला जायेगा। जिसकी अदायगी व्यक्तियों को तुरन्त करनी होगी।

18— यह कि माननीय उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर, 2016 व नगर विकास अनुभाग-5 के आदेश संख्या-3595/नौ-5-2016-29/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण अवशेष रखने पर 50,000/- का आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।

19— कोई भी व्यक्ति/निवासी सरकारी भवनों, चौराहों एवं दिवारों व गेटों पर निजी या व्यापारिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर व स्लोगन नहीं लिखायेगा।

घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरें तय की जाती हैं।

क्र० सं०	उपभोक्ता की श्रेणी	यूजर चार्ज (उपभोक्ता द्वारा) प्रतिमाह नगर पंचायत अनपरा क्षेत्र
1	2	3
		रुपये—
1	गेस्ट हाउस	500.00
2	हॉस्टल	400.00
3	व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, होटल रेस्टोरेंट	500.00
4	नर्सिंग होम (50 बेड तक)	1,500.00
5	नर्सिंग होम (50 बेड से अधिक)	3,000.00
6	छोटे उद्योग (10 किलो कूड़ा प्रतिदिन)	500.00
7	गोदाम, कोल्ड स्टोर (कूड़ा)	1,000.00
8	बारातघर, धर्मशाला (3000 वर्गमीटर तक)	1,500.00
9	बारातघर, धर्मशाला (3000 वर्गमीटर तक)	4,000.00
10	दो पहिया वाहन एजेन्सी	300.00
11	चार पहिया वाहन एजेन्सी	500.00
12	व्यावसायिक काम्पलेक्स अथवा मार्केट	1,000.00
13	माल	1,500.00
14	रिहायशी मकान (डोर टू-डोर कलेक्शन)	30.00
15	हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों पर	100.00
16	निजी खाली प्लॉट पर पड़े कूड़ा-करकट की सफाई कराने हेतु (3000 वर्ग फीट तक)	2,000.00 प्रति प्रकरण

नगर पंचायत की शक्ति—

1— नगर पंचायत क्षेत्र में, नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा-करकट फैलाना प्रतिशोध होगा यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, मार्गों, निजी खुले स्थानों, पार्कों, पानी के स्रोतों इत्यादि पर गंदगी कूड़ा करकट फैलाते व रखते पाया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी संलग्न "अनुसूची-अ" में घोषित/समय पर निकाय द्वारा निर्धारित जुर्माना (कैरिंग चार्ज) ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने में सक्षम होगा।

2— नियम को लागू कराने हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इसे सख्ती से लागू कराया जायेगा। लागू कराने में असक्षम/लापरवाह/असमर्थ कर्मचारी के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम, 1916 में उल्लिखित नियमों के अधीन सख्त कार्यवाही का अधिकार "प्राधिकारी" को होगा।

“अनुसूची-अ”

उपविधियों के उल्लंघन में किये गये कृत्यों के लिये निर्धारित कैरिंग चार्ज।

क्र० सं०	कृत्य	धनराशि प्रतिदिन
1	2	3
		रुपये
1	रिहायशी भवनों के निवासियों	100.00
2	दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर	500.00
3	रेस्टोरेन्ट मालिकों द्वारा खुला कचरा डालने पर	1,000.00
4	होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर	1,500.00
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर	5,000.00
6	सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने वालों पर	100.00
7	गोबर सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	500.00
8	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण मलबा, निर्माण सामग्री ईट, सीमेन्ट लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	1,000.00
9	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुये नगर पंचायत की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	2,000.00
10	सरकारी भवनों, चौराहों, एवं दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	2,000.00
11	बिना सक्षम स्वीकृति रोड कट करने पर	5,000.00
12	अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर	1,000.00
13	अपने मकान भवन की सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	5,000.00
14	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसायों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	1,000.00
15	दुकान अथवा ठेला व्यवसायों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेरिंग कर आयल मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर।	1,000.00
16	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क पर व आम रास्ते/रास्तों में डालकर गंदगी फैलाने पर	2,000.00
17	आम रास्ता सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊंट, गधा, सूअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर।	500.00 जानवर
18	शादी/विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर।	2,500.00
19	आम रास्ता सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुले आम मांस मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गंदगी फैलाने पर।	2,000.00

1	2	3
		रुपये
20	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी पर।	200.00
21	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी बाल इत्यादि डालने पर।	200.00
22	दुकानदारों अथवा व्यावसायिक द्वारा आम सड़क अथवा जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर। उपविधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजन भी चलाया जा सकेगा।	5,000.00
23	आम रास्ता सड़क फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर।	1,000.00
24	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम क्लीनिक जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय चलाकर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर।	2,000.00
25	खुले में शौच जाने पर।	500.00

26— शमन शुल्क— अधिकारियों द्वारा अपराधों का शमन करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं/अभिकरण इत्यादि से वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शमन शुल्क विनिर्दिष्ट करते हैं।

क्र० सं०	प्रतिषेध श्रेणी के निस्तारण योग्य पालीथीन कैरी बैग, प्लास्टिक और थर्माकोल वस्तुओं की मात्रा	धनराशि
1	2	3
		रुपये
1	100 ग्राम तक	1,000.00
2	101 ग्राम से 500 ग्राम तक	2,000.00
3	501 ग्राम से 1 किलोग्राम तक	5,000.00
4	1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक	10,000.00
5	5 किलोग्राम से अधिक पर	25,000.00
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान/दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों, मार्गों, नाला, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना।	25,000.00
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किसी निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान/दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों, नदियों झीलों, सार्वजनिक पार्कों, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना।	1,000.00

(ह०) अस्पष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, अनपरा,
सोनभद्र।

नगर पंचायत, बुगरासी, बुलन्दशहर

01 मई, 2025 ई0

सं0 04/न0पं0बुगरासी/प्रकाशन—नगर पंचायत बुगरासी, जनपद-बुलन्दशहर द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा- 291, 292, 293 (1), 294, 298(1) धारा-298 (2) के शीर्षक (ड़) व धारा- 299 के अधीन नगर पंचायत बुगरासी की भूमि/सार्वजनिक भूमि का अस्थाई रूप से किसी कार्य के लिये इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क प्राप्त करने सम्बन्धित उपविधियों को नगर पंचायत के विशेष संकल्प संख्या-04 दिनांक 01 मई, 2025 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही अंतर्गत जनसामान्य एवं प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'आज का मुद्दा' दिनांक 11 मई, 2025 (गौतमबुद्ध नगर) के पृष्ठ संख्या-03 पर तथा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'विशाल विश्व मानव' स्याना दिनांक 11 मई, 2025 के पृष्ठ संख्या-2 व 3 पर प्रकाशित किया गया। उक्त प्रकाशन पर नियत अवधि में जनसामान्य/प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उपरोक्त स्थिति में सम्यक विचार विमर्श उपरान्त नगर पंचायत बुगरासी द्वारा सर्वसम्मति से विशेष संकल्प संख्या-03 दिनांक 16 जुलाई, 2025 से सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि हेतु नगर पंचायत बुगरासी की भूमि/सार्वजनिक भूमि का अस्थाई रूप से किसी कार्य के लिये इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क प्राप्त करने सम्बन्धित उपविधियों का अनुमोदन (पुष्टि कर अंतिम स्वीकृति) किया गया। उक्त उपविधियां दिनांक 01 अप्रैल, 2025 अथवा सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक जो भी बाद में हो, से प्रवृत्त होगी जिसका प्रकाशन उपरोक्त पालिका अधिनियम की धारा-301(2) के अधीन किया जाता है।

उपविधियाँ

1— (1)— यह उपविधि नगर पंचायत बुगरासी, जनपद-बुलन्दशहर की "नगर पंचायत बुगरासी की भूमि/सार्वजनिक भूमि का अस्थाई रूप से किसी कार्य के लिये इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क" प्राप्त करने की उपविधि कहलायेगी,

(2)— यह सम्पूर्ण नगर पंचायत बुगरासी क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी,

(3)— यह उपविधि 01 अप्रैल, 2025 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।

2— **परिभाषायें**— विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में —

(1)— "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 से हैं,

(2)— "अधिशाली अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत बुगरासी के अधिशाली अधिकारी से है,

(3)— "चेयरपर्सन" से तात्पर्य नगर पंचायत बुगरासी के चैयरपर्सन/प्रशासक अधिकारी से है,

(4)— "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है,

(5)— "निरीक्षक" का तात्पर्य नगर पंचायत बुगरासी के ऐसे कर्मचारी से है जिसे नगर पंचायत बुगरासी के बोर्ड, अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा इस उपविधि के कार्य के सम्बन्ध में निरीक्षण के लिये नियुक्त किया गया हो,

(6)— ठेके का अर्थ प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की उस अवधि से है जिसके लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन करके बोर्ड/प्रभारी अधिकारी के द्वारा नीलाम किया जायेगा।

स्पष्टीकरण— ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है वही अर्थ होंगे जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिये दिये गये हैं।

3— नगर पंचायत बुगरासी की सीमा के अन्दर सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक स्थान पर अस्थाई चबूतरा बनाकर, तख्ता लगाकर या किसी अन्य प्रकार से दुकान (ढकेल) आदि लगाकर सामान बेचेगा या चूल्हा आदि बनायेगा या अपने किसी अन्य कार्य के लिये अस्थाई तौर पर इस्तेमाल करेगा उस व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क दिन प्रतिदिन के अनुसार नगर पंचायत के द्वारा प्राप्त किया जायेगा जो कि मुख्य बाजारों में रु0 1.5 प्रतिवर्ग फुट प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा तथा अन्य स्थानों पर रु0 1.00 प्रतिवर्ग फुट प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा परन्तु उक्त धनराशि किसी भी स्थिति में रु0 10.00 प्रतिदिन से कम नहीं होगी।

4— नगर पंचायत के द्वारा उपरोक्त शुल्क प्राप्त करने का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि नगर पंचायत के द्वारा उस व्यक्ति से भूमि का कोई किराया प्राप्त किया जा रहा है और ना ही उसको इस इस्तेमाल शुल्क को अदा करने के आधार पर भूमि के सम्बन्ध में कोई अधिकार ही प्राप्त होंगे बल्कि नगर पंचायत के द्वारा केवल भूमि के अस्थाई इस्तेमाल शुल्क के रूप में उक्त शुल्क वसूल किया जायेगा।

5— नगर पंचायत के द्वारा शुल्क प्राप्त करने के आधार पर उस व्यक्ति को स्थाई/अस्थाई निर्माण करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा।

6— ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई निर्माण या फड़ आदि यदि सार्वजनिक मार्ग/भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है तब ऐसी स्थिति में नगर पंचायत द्वारा ऐसे निर्माण या फड़ आदि को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार होगा और इस्तेमाल शुल्क प्राप्ति की रसीद के आधार पर आपत्ति करने का कोई अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं होगा।

7— नगर पंचायत के द्वारा अपनी भूमि/सार्वजनिक भूमि का अस्थाई रूप से किसी कार्य के लिये इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क वसूली के लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन आदि करके ठेका छोड़ा जायेगा परन्तु यदि किसी कारणवश नगर पंचायत बोर्ड अथवा प्रभारी अधिकारी ठेका न दे सके तो बोर्ड अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त शुल्क वसूली के लिये किसी अपने कर्मचारी को नियुक्त किया जा सकता है।

8— ठेके की म्याद अधिकतम एक वर्ष के लिये होगा जो कि प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च को समाप्त होगा चाहे किन्हीं कारणवश ठेका 1 अप्रैल के स्थान पर कुछ समय पश्चात् ही क्यों ना छोड़ा गया हो इस सम्बन्ध में ठेकेदार को समय के सम्बन्ध में कोई आपत्ति करने का अधिकार ना होगा।

9— ठेकेदार को ठेका लेने के 15 दिवस के अन्दर शासनादेश के अनुबन्ध का पंजीकरण निर्धारित शुल्क पर करवाया जाना आवश्यक है जिसमें होने वाले समस्त व्यय को अदा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी अनुबन्ध का पंजीकरण ना करवाये जाने की स्थिति में ठेका पंजीकरण के लिये निर्धारित की गई समयावधि 15 दिवस समाप्त होने के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जायेगा जिसके लिये निरस्तीकरण के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी तथा पुनः ठेका छोड़ने में होने वाली हानि को पूर्व ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

10— ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) जिसे उपरोक्त शुल्क वसूली का ठेका/कार्य दिया गया हो वह उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूल नहीं करेगा।

11— ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) निर्धारित प्रारूप में छपी हुई शुल्क की रसीद का ही इस्तेमाल करेगा और प्रत्येक रसीद पर क्रमांक अंकित होगा और रसीद बुक पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी रसीद बुक को नगर पंचायत कार्यालय में जमा किया जायेगा जिसको नगर पंचायत के द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष में सम्भाल कर रखा जायेगा।

12— नगर पंचायत के द्वारा छोड़े गये ठेके के ठेकेदार के द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है अथवा अन्य ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कि इस उपनियम अथवा नगरपालिका अधिनियम में दिये गये

प्रावधानों के विरुद्ध हो अथवा ठेकेदार के द्वारा कोई अनैतिक अथवा कानून के विरुद्ध कार्य किया जाता है तब ऐसी स्थिति में नगर पंचायत को ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

13— ठेके की अन्य शर्तें नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

14— नगर पंचायत के द्वारा उक्त शुल्क वसूली दिन प्रतिदिन के अनुसार वसूल करवाई जायेगी जो कि प्रत्येक दिन वसूल ना होने की स्थिति में एक से अधिक दिन की वसूली की जा सकती है और उसी प्रकार से वसूली की जा सकेगी परन्तु उक्त शुल्क दिन प्रतिदिन का शुल्क ही माना जायेगा।

15— उक्त उपविधियां नगर पंचायत के द्वारा संचालित की जाने वाली साप्ताहिक बाजार के सम्बन्ध में लागू होंगी साप्ताहिक बाजार के सम्बन्ध में नगर पंचायत के द्वारा प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि हेतु प्रतिस्पर्धी दरों पर निविदा आमंत्रित कर ठेका दिया जायेगा। उसके पश्चात् ही ठेकेदार द्वारा साप्ताहिक पैठ से वसूली की जायेगी। साप्ताहिक पैठ का ठेका न होने की दशा में निकाय द्वारा स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से वसूली की जायेगी।

16— यदि कोई व्यक्ति उपनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा इन उपनियमों द्वारा उनपर आरोपित किन्हीं अपेक्षाओं अथवा आभारों का उल्लंघन करता है या किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध नगर पंचायत के द्वारा कार्यवाही करेगी और दोष सिद्ध होने पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो कि नगर पालिका अधिनियम की धारा- 299 के अनुसार अंकन 1,000 रुपये तक हो सकेगा तथा लगातार अपराध सिद्ध होने की दशा में उसे अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो कि प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से प्रत्येक दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिनों के लिये अंकन रुपये 25.00 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है।

17— यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा

18— उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

ओमदत्त लोधी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बुगरासी,
बुलन्दशहर।

कार्यालय, नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया

4 फरवरी, 2026 ई0

सं0 564/न0पं0 बैतालपुर/2025-26-उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, बैतालपुर द्वारा अपने सीमान्तगत नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया ठेकेदारी पंजीयन उप नियमावली-2026 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति या समूह का आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपने लिखित आपत्ति/ सुझाव नगर पंचायत बैतालपुर में प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है तत्कम में दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र जनमित्र में दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 एवं गोरखपुर केसरी में दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समय अवधि 15 दिन के अन्दर कोई आपत्ति/ सुझाव प्राप्त नहीं हुआ जिसको मा0 बोर्ड बैठक दिनांक 2-2-2026 को प्रस्ताव संख्या 02 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मत से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

उपविधि

परिभाषा—किसी प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर—

1—यह नियमावली नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया ठेकेदारी पंजीयन उप नियमावली—2026 कहलायेगी।

2—अधिशाली अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया के अधिशाली अधिकारी से है।

3—अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

4—ठेकेदार पंजीयन अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

5—ठेकेदार पंजीयन अधिकारी नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया के अधिशाली अधिकारी होंगे।

6—यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से तत्काल प्रभावी/लागू होगा।

यह उपविधि लोक निर्माण के कार्यों में ठेकेदारों के पंजीयन की उपविधि वर्ष 2026 के नाम से जानी जायेगी। जिसके नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं—

1—नगर पंचायत बैतालपुर, जनपद देवरिया में ठेकेदारी पंजीयन हेतु इच्छुक व्यक्ति एवं फर्मों जो कि भारतीय गणराज्य के मूल निवासी हो तथा किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों निगमों एवं निकायों में ठेकेदारी कार्य का अनुभव रखते हों, वे अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

2—पंजीकरण हेतु इच्छुक व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ श्रेणीवार नियत धनराशि के अन्तर्गत कार्य कराने सम्बन्धी तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3—ठेकेदारी पंजीकरण हेतु इच्छुक व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ श्रेणीवार नियत धनराशि के अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 टी0—05 प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

4—प्रत्येक श्रेणी में ठेकेदारी पंजीकरण हेतु इच्छुक व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ पी0डब्लू0डी0 टी0—04 प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

5—प्रत्येक श्रेणी में ठेकेदारी पंजीकरण हेतु इच्छुक व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ पी0डब्लू0डी0 टी0—04 प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

6—ठेकेदारी पंजीकरण हेतु इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ श्रेणीवार जमानत के रूप में नियत धनराशि की एन0एस0सी0/किसान विकास पत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 जो कि अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया के पद नाम से बंधक हो, मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य है।

7—प्रत्येक श्रेणी में ठेकेदारी पंजीकरण हेतु इच्छुक व्यक्ति को आवेदन—पत्र के साथ आयकर क्लियरन्स एवं व्यापार कर में पंजीयन सम्बन्धी प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

8—प्रत्येक श्रेणी में मात्र एक वर्ष की अवधि हेतु ही पंजीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात नवीनीकरण के इच्छुक ठेकेदारों को पुनः श्रेणीवार हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र आदि के साथ ही पुनः पंजीयन शुल्क नवीनीकरण शुल्क जमा करके अपने ठेकेदारी पंजीयन का नवीनीकरण कराना होगा।

9—प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारी पंजीकरण हेतु इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात नोटिस द्वारा श्रेणीवार नियत पंजीकरण शुल्क जमा किये जाने हेतु सूचित किया जायेगा, तथा पंजीकरण शुल्क की नियत धनराशि जमा किये जाने के पश्चात पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

10—पंजीयन शुल्क का विवरण निम्नवत है—

क्र० सं०	नाम श्रेणी	पंजीयन शुल्क	जमानत की धनराशि	कार्य की सीमा	हैसियत
1	ए	40000.00	1500000.00 (एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०)	35.00 लाख या उससे अधिक	75.00 लाख
2	बी	25000.00	1000000.00 (एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०)	25.00 लाख से 35.00 लाख तक	50.00 लाख
3	सी	20000.00	500000.00 (एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०)	10.00 लाख से 25.00 लाख तक	35.00 लाख
4	डी	10000.00	250000.00 (एफ०डी० आर०/एन०एस०सी०)	1.00 लाख से 10.00 लाख तक	25.00 लाख

11—नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया में ठेकेदारी पंजीयन हेतु इच्छुक व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि उसे भारत के किसी राज्य सरकार/भारत सरकार के किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों, निगमों अथवा नगरीय निकायों द्वारा ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार की श्रेणी में सम्मिलित न किया गया हो तथा वह अपराधिक गतिविधियों माफिया तथा गैंगेस्टर गतिविधियों और असामाजिक कार्य आदि में संलिप्त न हो और न ही माफिया और अपराधी हो, उसका चाल-चलन कार्य तथा आचरण उत्तम हो। ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के लिए अर्ह होंगे।

12—नगर पंचायत बैतालपुर, जनपद देवरिया में ठेकेदारी पंजीयन हेतु इच्छुक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसके विरुद्ध इस जनपद में तथा किसी प्रदेश/केन्द्र शासित प्रदेश में कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज न हो और न ही चल रहा हो, उसे अपनी सम्बंधित थाना व मा० न्यायालयों से प्रमाण पत्र भी देना होगा।

13—यदि नगर पंचायत बैतालपुर, जनपद देवरिया में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होने अथवा ठेका प्राप्त करने के पश्चात पंजीकृत ठेकेदार के विरुद्ध माफिया/असामाजिक गतिविधियों व संगठित आपराधिक गतिविधियों के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार के रूप में किया गया पंजीयन तथा दिया गया ठेका/अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धरोहर धनराशि नगर पंचायत बैतालपुर के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। इस कार्यवाही पर सम्बंधित ठेकेदार द्वारा दिया गया कोई शिकायत अथवा आपत्ति मान्य नहीं होगी।

14—ठेकेदार द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरुद्ध कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो नगर पंचायत बैतालपुर जनपद देवरिया के सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार के विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने एवं उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई प्रतिवाद मान्य नहीं होगा। ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

15—नगर पंचायत बैतालपुर, जनपद देवरिया में पंजीकृत ठेकेदार को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार समय से पूरी गुणवत्ता के साथ लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण करना और विभाग को पूरा सहयोग प्रदान करना होगा।

16—ठेकेदार को समय-समय पर राज्य सरकार, जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय तथा अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी द्वारा निर्गत आदेश/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

17—ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने आवेदन-पत्र में दिये गये पते पर सामान्यतः निवास करे तथा विभाग द्वारा ठेकेदारी पंजीयन की अवधि तक अथवा प्रदान किये गये कार्य के पूरा होने तक उसके किसी पते में सामान्यतः कोई परिवर्तन न हो। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी पते में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना तत्काल अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत बैतालपुर, जनपद देवरिया और जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर को देना अनिवार्य होगा।

18—नगर पंचायत बैतालपुर ठेकेदारी पंजीयन हेतु ठेकेदार द्वारा जिस श्रेणी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, उसके सापेक्ष चल-अचल सम्पत्ति हैसियत प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा प्राप्त करके संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा नगर पंचायत बैतालपुर में ठेकेदारी पंजीयन हेतु संलग्न किये गये हैसियत प्रमाण-पत्र का उपयोग अन्य कार्यों के लिये नहीं किया जायेगा। अन्यथा पंजीयन निरस्त हो जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी सम्बंधित ठेकेदार की व्यक्तिगत होगी।

19—निकाय हित में ठेकों में यदि प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना न हो तो निर्माण हेतु नियत अल्पकालिक सहित अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों, निगमों एवं निकायों के पंजीकृत ठेकेदारों को भी निविदा प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया को सुरक्षित होगा एवं उक्त आदेश के विरुद्ध नगर पंचायत बैतालपुर को कोई भी पंजीकृत ठेकेदार किसी भी स्तर पर कोई भी प्रतिवाद नहीं कर सकेगा। यह विशेष परिस्थितियों में नगर पंचायत अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा।

20—नगर पंचायत बैतालपुर, जनपद देवरिया में कार्यरत किसी भी अभियन्ता/ अधिकारी/ कर्मचारी एवं अध्यक्ष, वार्ड सदस्य स्वयं या उसका कोई भी नजदीकी सम्बंधी (Defined as first blood relation and their spouses) ठेकेदारी पंजीयन हेतु अयोग्य होगा।

21—नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया में ठेकेदारी कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदार को श्रेणीवार निर्धारित सीमान्तर्गत ही निविदा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, अर्थात् किसी भी ठेकेदार द्वारा एक बार में अपनी पंजीयन श्रेणी हेतु नियत धनराशि से अधिक धनराशि की निविदा प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी।

22—नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया में ठेकेदारी पंजीयन हेतु इच्छुक ठेकेदार/फर्म में यदि नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया में कार्यरत किसी भी अभियन्ता/अधिकारी/कर्मचारी एवं अध्यक्ष तथा वार्ड सदस्य का कोई भी नजदीकी सम्बंधी सेवारत होगा तो वह व्यक्ति/फर्म ठेकेदारी पंजीयन हेतु अयोग्य होगा।

23—पंजीकरण हेतु इच्छुक व्यक्ति, उसकी फर्म/कम्पनी जिसमें वह स्वयं निदेशक/ पार्टनर/मालिकाना हक रखता है ने जहां कहीं भी कार्य किया है, कभी भी उसके नाम से जुड़ी कम्पनी जिसमें वह निदेशक/पार्टनर रहा हो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे उसकी फर्म/कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड या दिवालिया घोषित न किया गया हो या करने की कार्यवाही न चल रही हो। ऐसी स्थिति में पंजीकरण के लिए सम्बंधित ठेकेदार/फर्म अर्ह नहीं होंगे।

24—नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया में ठेकेदारी पंजीयन हेतु/पंजीकृत किसी भी अथवा समस्त ठेकेदारों के आवेदन पत्रों या पंजीयन को अस्वीकृत अथवा निरस्त करने के साथ ही उपरोक्त नियमों शर्तों एवं प्रतिबन्धों को शिथिल/संशोधित करने का अधिकार नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया को सुरक्षित होगा, किन्तु उसका सकारण उल्लेख पत्रावली पर किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रतिवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया द्वारा पारित निर्णय/आदेश उभयपक्षों को मान्य एवं बाध्यकारी होगा।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा यथा समय उपनियमावली के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय/आदेश पारित किया जाता है तो इस नियमावली के नियमों में सुसंगत प्राविधान लागू समझा जायेगा।

(ह0) अस्पष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत बैतालपुर,
देवरिया।

कार्यालय, नगर पंचायत सलेमपुर, देवरिया

23 जनवरी, 2026 ई०

भवन निर्माण उपविधि 2025

सं० 646/न०पं० सलेमपुर-2025-26-पत्रांक सं० 618/न०पं०सलेमपुर/2025-26 उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सलेमपुर द्वारा भवन निर्माण नियमावली, 2025 उपविधि नगर पंचायत सलेमपुर, जनपद देवरिया द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत भवन मानचित्र दाखिला शुल्क उपविधि नियमावली, 2025 प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह का आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्काल में दैनिक समाचार पत्र राष्ट्र चिन्ह, दिनांक 07 जनवरी, 2026 एवं गोरखपुर केसरी (हिन्दी दैनिक) दिनांक 07 जनवरी, 2026 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक 22 जनवरी, 2026 के प्रस्ताव सं० 03 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मत से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

परिभाषाएं

1- **संक्षिप्त नाम**— यह नियमावली नगर पंचायत सलेमपुर, जनपद देवरिया 'भवन निर्माण उपविधि 2025' कहलायेगी।

2- **प्रसार**— इस उपविधि का प्रसार नगर पंचायत सलेमपुर, जनपद देवरिया की सम्पूर्ण सीमा (समय-समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित) में होगी।

3- **प्रभाव**— यह नियमावली शासकीय गजट में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी।

4- नगर पंचायत तरकुलवा का तात्पर्य नगर पंचायत सलेमपुर देवरिया से हैं।

5- प्रशासक/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत सलेमपुर के अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष से हैं।

6- अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत सलेमपुर में कार्यरत अधिशासी अधिकारी से हैं।

7- नगर पालिका अधिनियम 1916 से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधित अधिनियम से है।

8- "बेसमेन्ट" का तात्पर्य भू-तल के नीचे या अंशतः भू-तल के नीचे के निर्माण से है।

9- "स्टिल्ट प्लोर" का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्भो (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम दो तरफ से खुली हो, फर्श से बीम तक अधिकतम ऊँचाई 7 फुट हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत होने से हैं।

10- "आच्छादित क्षेत्रफल" का तात्पर्य कुर्सी तल के ऊपर आच्छादित तल क्षेत्र से है, जिसके ऊपर भवन निर्माण हो। निम्नलिखित संरचनाएं आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत शामिल नहीं होगी—

(क)— बाग, राकरी, कुआं एवं कुए से सम्बन्धित कोई संरचना, प्लान्ट नर्सरी, वाटरपूल, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, पेड़ के चारो प्लेटफार्म, टैंक, फाउन्टेन, बैंच, खुला चबूतरा।

(ख)— ड्रेनेज कवर्ट, कैच-पिट, गलीपिट, चैम्बर, गटर, आदि।

(ग)— चहारदीवारी, प्रवेश द्वार, मंजिल रहित पोर्च एवं पोर्टिको, कैनोपी, स्लाइड, झूला, अनाच्छादित सीढ़ी, अनाच्छादित रैम्प, आदि।

(घ)– वाचमैन बूथ, पम्प-हाउस, गारबेज शाफ्ट, विधुत केबिन एवं विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित ऐसे अन्य 'यूटीलिटीज स्ट्रक्चर्स'।

11– "तल क्षेत्रफल" (फ्लोर एरिया) का तात्पर्य भवन के किसी तल पर आच्छादित क्षेत्रफल से हैं।

12– "तल क्षेत्रफल अनुपात" (एफ0ए0आर0) का तात्पर्य किसी भू-खण्ड के कुल क्षेत्रफल से भवन के कुल तल क्षेत्रफल को विभाजित करने से प्राप्त भागफल से हैं।

13– "निवास योग्य कमरे" का तात्पर्य अधिभोग के लिए अध्यासित अथवा अभिकल्पित कमरे से है, चाहे यह अध्ययन, रहने, शयन, खाने हेतु हो, किन्तु इसमें रसोई घर, स्नानगृह, शौचालय, बर्तन साफ करने व रखने की जगह और स्टोर रूम, कारीडोर, बेसमेन्ट, बरसाती (अटिक) तथा अन्य स्थान जो प्रायः रहने हेतु प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, सम्मिलित नहीं होंगे।

14– "आवासीय भवन" के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे, जिसमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालयकी सुविधा हो इसमें 'एक' अथवा 'एक से अधिक' आवासीय इकाई शामिल हैं।

15– "व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन" के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप, जो व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुषांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होंगे।

16– "व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन" के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप, जो व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुषांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होंगे।

17– "कुर्सी" (प्लिन्थ) से तात्पर्य किसी संरचना के उस भाग से है, जो चारों ओर की भूमि की सतह से ठीक ऊपर हो तथा भूतल के फर्श तक हों।

18– "कुर्सी का क्षेत्रफल" से तात्पर्य वह निर्मित क्षेत्रफल से है, जो बेसमेन्ट, भू-तल अथवा किसी मंजिल के फर्श तल पर नापा जाए।

19– "सैट-बैक लाइन" का तात्पर्य भू-खण्ड की सीमाओं के समानान्तर रेखा में है, जो भवन निर्माण उपविधि में निर्दिष्ट की गई हो और जिसके बाहर भू-खण्ड की सीमाओं की ओर कोई निर्माण करना अनुमन्य न हो।

20– "भू-खण्ड" का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है, जो चारों ओर निश्चित सीमाओं से घिरा हों।

21– "कोने का भू-खण्ड" का तात्पर्य उस भू-खण्ड से है, जो दो या अधिक परस्पर काटने/मिलने वाली सड़को पर स्थित हों।

22– "मंजिल" का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हों।

23– "सड़क" (स्ट्रीट) का तात्पर्य स्ट्रीट, गली, लेन, पाथ-वे, संकरी गली (ऐले), रास्ते (पैसेज), कैरियर-वे, पगडण्डी (फुट-वे), स्क्वायर, खुले पुल, चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हों या न हो, या जिसके ऊपर जनसाधारण को विकास कार्य के पूरा होने के बाद बिना किसी रोक-टोक के चलने, गुजरने का या आने-जाने का अधिकार हों, चाहे वह किसी योजना में विद्यमान हो या प्रस्तावित हो। उसमें सब प्रकार के बन्धे, स्टार्म वाटर ड्रेन, वर्षा जल के नाले, पुलिया, साइड वाल, ट्रैफिक आइलैण्ड, रिटेनिंग वाल, बैरियर एवं रेलिंग, जो 'राइट-आफ-वे' के भीतर हों शामिल होंगे।

24– "सड़क की चौड़ाई" का तात्पर्य सड़क की कुल चौड़ाई अथवा 'राइट-आफ-वे' से हैं।

25— “बरामदा” से तात्पर्य ऐसे आच्छादित क्षेत्रफल से है, जिसमें कम से कम एक पार्श्व बाहर की ओर खुला हो एवं ऊपर के तलो में खुले पार्श्व की ओर अधिकतम एक मीटर ऊँचाई तक के पैरापिट का प्रविधान हो।

26— ‘भवन की ऊँचाई’ से तात्पर्य आस-पास की भूमि के औसत सतह से भवन के अन्तिम तल के टेरेस से तक की ऊँचाई से हैं।

आवेदन पत्र यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा।

27— मानचित्रों के तीन सेट नियत शुल्क अदा करने की रसीद सहित जमा किए जाएंगे।

28— जमा किये जाने वाले मानचित्रों में ‘की प्लान’, ‘साइट प्लान’, ‘तलपट मानचित्र’ और ‘सर्विसेज प्लान’ भी शामिल होंगे।

29— समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाएंगे और उनके द्वारा नाम, अनुज्ञप्ति संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किए जाएंगे इसके अतिरिक्त भू-भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होंगे।

30— नगर पंचायत सलेमपुर के लाइसेंस प्राप्त ड्राफ्टमैन को भवन मानचित्र प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।

31— भवन के प्लान और एलिवेशन तथा सेक्शन 1:100 से कम पैमाने पर नहीं होंगे, और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए जाएंगे।

(क)— समस्त तलों के तल मानचित्र सहित आच्छादित क्षेत्रफल, कमरो के आकार, जीने, रैम्प (लिफ्ट सहित)।

भवन के प्रत्येक भाग का उपयोग या अधिभोग—

➤ मूलभूत सेवाओं के वास्तविक स्थान शौचालय, सिंक, बाथ, जल-प्रदाय, जल-निकास तथा मल-निस्तारण हेतु सोक पिट/सैप्टिक टैंक अथवा सीवर लाइन से कनेक्शन।

➤ जल प्रवाहित शौचालय की व्यवस्था।

सूचनाएं एवं दस्तावेज

➤ पंजीकृत बैनामा की छायाप्रति।

➤ इन्तखाब।

➤ आधार कार्ड की छायाप्रति।

➤ आवेदक/आवेदिका की एक फोटो।

➤ रु0 10.00 का ई-स्टाम्प पेपर।

➤ शमन मानचित्र हेतु निर्मित भवन का फोटोग्राफ।

➤ बैनामों की छायाप्रति।

➤ नजरी नक्शा जो सम्बन्धित लेखपाल के द्वारा जारी किया गया है।

नियम एवं शर्तें

➤ रु0 2.00 प्रति वर्ग फुट सम्पूर्ण भूमि पर एवं प्रत्येक तल पर शुल्क आवासीय हेतु लिया जाएगा।

➤ रु0 4.00 प्रति वर्ग फुट शुल्क भूमि पर एवं प्रत्येक तल पर शुल्क व्यावसायिक भवन हेतु लिया जाएगा।

नोट— मानचित्र स्वीकृत होने के उपरांत आवेदक/आवेदिका को तीन वर्ष के भीतर भवन का निर्माण कर लेना होगा अथवा मानचित्र की अवधि समाप्त हो जाने पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सेट-बैक

आवासीय/व्यवसायिक भवन—भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय/व्यवसायिक भवनों में अधिकतम तीन मंजिल निर्माण अनुमन्य होगा जिसकी अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट के साथ 41 फुट तथा स्टिल्ट के बिना 34 फुट होगी एवं सैट-बैक निम्नवत् होंगे—

भूखण्ड का क्षेत्रफल	सैट-बैक	
	अग्र भाग	पृष्ठ भाग
1	2	3
वर्ग फुट—	फुट—	फुट—
1500 तक	3	---
1501 से अधिक 3000 तक	5	3
3001 से अधिक 5000 तक	10	5

- कोने के भूखण्ड में सेट-बैक सम्बन्धित भूखण्ड के फ्रन्ट सैट-बैक के समान होगा।
- भवनों में प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- **सेट बैक में छुट**— खुले स्थान में छत/छज्जे का निर्माण किया जा सकता है, जो खुले स्थान की चौड़ाई के आधे से अधिक तथा अधिकतम 3 फुट होगा, परन्तु उक्त छत/छज्जे किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- 3000 से अधिक प्रस्तावित व्यवसायिक भवन हेतु स्थानीय मुख्य शमन अधिकारी से अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 1500 से अधिक 3000 तक के भवनों में पृष्ठ सेट-बैक के 40 प्रतिशत भाग पर निर्माण अनुमन्य होगा।
- 5000 से अधिक तथा निम्न (संस्थागत/सामुदायिक, शिक्षण संस्थान, औद्योगिक भवन, कार्यालय भवनों, भण्डारण भवनों, होटल, थोक व्यवसायिक भवनों, चिकित्सा भवनों, सेवा-उद्योग आदि) के मानचित्र की स्वीकृति देवरिया विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानको के अनुसार प्राधिकरण के अनुमति उपरांत दी जाएगी।
- उक्त आराजी पर भवन निर्माण से पुरातत्व विभाग के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होगा। आराजी पुरातात्विक क्षेत्र की परिधि से लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित होगी। पुरातात्विक क्षेत्र की परिधि 300 मीटर के भीतर के भूमि/भवनों को मानत्रित स्वीकृति कराने हेतु स्थानीय पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

अन्य आन्तरिक संरचनाएं**जीना—**

- आवासीय भवनों में आन्तरिक जीने की पैड़ी की चौड़ाई न्यूनतम 10" होगी। तथा अन्य भवनो में पैड़ी की चौड़ाई न्यूनतम 12" होगी।

- आवासीय भवनों में एक उठान में अधिकतम 12 राइजर तक होंगे तथा अन्य भवनो में उनकी संख्या 15 तक हो सकेगी।
- चहारदीवारी सामने की कम्पाउण्ड दीवार की अधिकतम ऊँचाई 8 फुट होगी, जिसका न्यूनतम 3 फुट ऊपरी भाग जाली/ग्रिलयुक्त होगा।
- पीछे की तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवारों की अधिकतम ऊँचाई 8 फुट होगी।
- कोने के भूखण्ड में सड़क की तरफ की कम्पाउण्ड दीवार की ऊँचाई 6 फुट से अधिक नहीं होगी।
- उक्त उपबन्ध सैनेटोरियम, कारखाना, कार्यालय, संस्थागत भवनों पर लागू नहीं होंगे।

भू-गेह (बेसमेन्ट)–

- बेसमेन्ट को रिहायसी उपयोग में नहीं लाया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोई घर का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।
- आन्तरिक खुले स्थल (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमत्य होगा।
- बेसमेन्ट का निर्माण बगल की संपत्तियों की स्ट्रक्चरल सेपटी सुनिश्चित करते हुए भू-खण्ड की सभी सीमाओं से न्यूनतम 6 फुट छोड़ने के बाद ही अनुमत्य होगा।

बेसमेन्ट का प्रयोजन निम्नानुसार होगा।

- (क)– घरेलू सामान, अज्वलनशील पदार्थ या अन्य सामान का भण्डारण।
- (ख)– आवासीय भवन से भिन्न भवनों में डार्करूम, कोशकक्ष, बैंक सेलर आदि।
- (ग)– वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीनें जो भवन की अनिवार्य सुरक्षा के लिए लगाई जाएं।
- (घ)– पार्किंग स्थल और गैराज।
- (च)– पुस्तकालयों के अज्वलनशील भण्डार कक्ष (स्टैकिंग रूम)।
- बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग, फर्श से बीम तक न्यूनतम 7 फुट तथा अधिकतम 15 फुट ऊँचा होगा।
- बेसमेन्ट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जाएगा।
- बेसमेन्ट की सीलिंग संलग्न रोड लेवल से न्यूनतम 3 फुट तथा अधिकतम 4 फुट ऊपर होगी।
- सतह का पानी बेसमेन्ट में प्रवेश न करने पाए इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षाएं

जलरोध की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 3000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा सभी योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर संग्रहण हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।

सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र हेतु अपेक्षाएं

निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर संयन्त्र की स्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी—

- अस्पताल तथा नर्सिंग होम।
- होटल।
- अतिथि गृह।

- विश्राम गृह।
- छात्रावास।
- महाविद्यालय/प्राविधिक संस्थाएं/प्रशिक्षण केन्द्र।
- सशस्त्र बल/अर्द्ध-सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक।
- सामुदायिक केन्द्र, बैंकवेट हाल, बारातघर तथा इसी प्रकार के अन्य भवन।
- 5000 वर्ग फुट एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवन।

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु अपेक्षाएं

समस्त जनोपयोगी भवनों तथा सार्वजनिक सुविधा स्थलों पर शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं, सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु अवरोधमुक्त परिसर के सृजन के लिए प्राविधान सुनिश्चित किए जाएंगे।

भूकम्परोधी निर्माण हेतु अपेक्षाएं

➤ भूतल सहित 3 मंजिल से अधिक अथवा 41 फुट से अधिक ऊँचाई के भवन तथा 5000 वर्ग फुट से अधिक भू-आच्छादन के सभी अवस्थापना सुविधाओं (यथा वाटर वर्क्स एवं ओवर हैंड टैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, ब्रिज एवं क्लवर्ट, विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं विद्युत टावर, अस्पताल छविगृह, ऑडिटोरियम, सभा भवन, शैक्षिक संस्थाएँ, बस टर्मिनल आदि) पर भूकम्परोधी निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएँ लागू होंगी।

➤ भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति कराने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हस्ताक्षरयुक्त भवन की नींव एवं सुपरस्ट्रक्चर डिजाइन की पूर्ण गणनाएँ एवं स्ट्रक्चरल मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही भवन निर्माण हेतु नियत प्राधिकारी को जो मानचित्र प्रेषित किये जायेंगे, उन सभी मानचित्रों पर भू-स्वामी, पंजीकृति आर्किटेक्ट के साथ-साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर तथा सर्विस डिजाइन तैयार करने वाले सर्विस इंजीनियर के पूरे नाम तथा मुहरयुक्त हस्ताक्षर से भूकम्परोधी डिजाइन होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

अपराधो का शमन उपविधि

➤ मानचित्र में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अवैध निर्माण दर्शाए जाएंगे 'फ्रन्ट', 'साइड' एवं पीछे के सटे बैक में अनधिकृत निर्माण शमनीय होगा।

- शमन शुल्क अवैध निर्माण के लिए निर्धारित शुल्क द्वारा लिया जाएगा।
- रु0 10.00 प्रति वर्ग फुट शमन शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जाएगा।
- रु0 15.00 प्रति वर्ग फुट शमन शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जाएगा।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ह0) अस्पष्ट,
अधिशाली अधिकारी,
आदर्श नगर पंचायत सलेमपुर,
देवरिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मोहम्मद फैशल आलम (Mohd Faishal Alam) पुत्र मोहम्मद सगीर आलम (Mohd Sagir Alam) एवं माता का नाम शबाना आजमी (Shabana Azmi) है जो मेरे हाईस्कूल में अंकित है। त्रुटिवश मेरे इंटरमीडिएट रोल नंबर-23751513/2023 में मेरा नाम Faishal Alam और मेरे पिता का नाम सगीर आलम एवं माता का नाम शबाना खातून अंकित हो गया है। जो कि गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मोहम्मद फैशल आलम,
पुत्र मोहम्मद सगीर आलम,
निवासी- उतेलवा, उतेलवा, अमेठी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम उर्मिला पत्नी रामराज है उपजिलाधिकारी महोदय की जाँच आख्या पैन कार्ड व राशन कार्ड व निवास, जाति व आय प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4237 8073 6581 में मेरा नाम मिल्ला अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम उर्मिला पत्नी रामराज के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

उर्मिला पत्नी रामराज,
निवासी-भट्ठा मजरा मऊ, तहसील मऊ,
जनपद चित्रकूट।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम इशरत खान (ISHRAT KHAN) पुत्र मोहम्मद अयुब खान है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख व पासपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6973 2559

1497 में मेरा नाम सोनू (SONU) अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम इशरत खान (ISHRAT KHAN) पुत्र मोहम्मद अयुब खान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

इशरत खान,
पता-ग्राम सेमरिहा रोड, सेमरिहा पोस्ट कोरांव,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम भाव्या केसरवानी (BHAVYA KESARWANI) है जो कि शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-9792 7576 9677 में उसका नाम पंखुरी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम भाव्या केसरवानी (BHAVYA KESARWANI) पुत्री सुभाष कुमार केसरवानी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुभाष कुमार केसरवानी,
पुत्र स्व0 अमरनाथ केसरवानी,
593, नई, बस्ती कीडगंज,
जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चन्द्र कुमारी पत्नी स्व0 सुबेदार सिंह है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, व उपजिलाधिकारी जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 5679 1085 3192 मेरा नाम चन्दन सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चन्द्र कुमारी पत्नी स्व0 सुबेदार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

चन्द्र कुमारी सिंह, पत्नी स्व० सूबेदार सिंह,
गांव पूरा पोस्ट सोनपुरा, तहसील पट्टी,
जनपद प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मो० सुफियान पुत्र तौफीक है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-2396 9254 1378 में उसका नाम तौहिक अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मो० सुफियान पुत्र तौफीक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

तौफीक पुत्र मकबूल,
ग्राम सुदनीपुर कला फूलपुर,
हनुमानगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सोनी देवी (SONI DEVI) पत्नी रजवन्त सिंह (RAJWANT SINGH) है। जो कि मेरे निर्वाचन कार्ड, खतौनी, परिवार रजिस्टर, बैंक पासबुक तथा उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-4589 1269 0965 में मेरा नाम सनी देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सोनी देवी (SONI DEVI) पत्नी रजवन्त सिंह (RAJWANT SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सोनी देवी, पत्नी रजवन्त सिंह,
ग्राम पहाड़ी, रोहनिया, वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इशिका मौर्य (ISHIKA MAURYA) पुत्री अजय कुमार मौर्य (AJAY KUMAR MAURYA) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-7515 6816 0680 में उसका नाम सृष्टि मौर्य अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम इशिका मौर्य (ISHIKA MAURYA) पुत्री अजय कुमार मौर्य (AJAY KUMAR MAURYA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अजय कुमार मौर्य, पुत्र पंचम राम मौर्य,
कुटीपर, खागा फतेहपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णकान्त पुत्र रमाकान्त है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-2066 1229 7306 में उसका नाम आर्यन रत्ना अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष्णकान्त पुत्र रमाकान्त के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अंजू देवी पत्नी रमाकान्त,
निवासी-नूरुद्दीन शहीद फूलवरिया,
जिला वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम हर्षिता उपाध्याय (Harshita Upadhyay) पुत्री अखिलेश कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड

सं०-7059 0256 8318 में उसका नाम खुशी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम हर्षिता उपाध्याय पुत्री अखिलेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अखिलेश कुमार पुत्र कल्पनाथ,
निवासी-ग्राम आयर पोस्ट सोनहिता
जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम युगांश गोंड (YUGANSH GOND) पुत्र शिव कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-2908 7142 2764 में उसका नाम YUGANK (युगंणक) अंकित हो गया है जोकि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम युगांश गोंड (YUGANSH GOND) पुत्र शिव कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रागिनी गोंड पत्नी शिव कुमार,
कसेरवां, मछलीशहर जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दिपांशु मिश्र (Dipanshu Mishra) पुत्र नरेन्द्र कुमार मिश्र है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-6280 3347 7602 में उसका नाम दीपाशु मिश्र अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम दिपांशु मिश्र पुत्र नरेन्द्र कुमार मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नरेन्द्र कुमार मिश्र, पुत्र राकेश कुमार मिश्रा,
ग्राम ददरी कनोखर पोस्ट लालगंज,
जनपद मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नैन्सी (Naincy) पुत्री तुलसी राम है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-8686 8605 0828 में उसका नाम नयनसी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नैन्सी (Naincy) पुत्री तुलसी राम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

तुलसी राम पुत्र मथुरा प्रसाद,
निवासी-निकट गोंडा कचहरी रेलवे स्टेशन,
ग्राम हरबंश पुरवा केशवपुर,
पहड़वा गोंडा, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंशिका पुत्री श्रीपाल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-3927 9985 0316 में मेरा नाम नीलू देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंशिका पुत्री श्रीपाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अंशिका पुत्री श्रीपाल,
निवासी-ग्राम दानी निवादा,
पोस्ट कहिजरी मॉल का पुरवा,
कानपुर देहात, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता जी का नाम DASHRATH PRASAD YADAV है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल अंकपत्र सह प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक 5179045/2019) में मेरे पिता जी का नाम DASHRATH Pd YADAV अंकित हो गया है जो कि गलत है। एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्वेता यादव पुत्री दशरथ प्रसाद यादव,
गांव-धारूपुर पोस्ट-राजगढ़
प्रतापगढ़, उ०प्र०

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दिनेश कुमार पुत्र स्व० रामचन्द्र यादव है जो कि निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड एवं उपजिलाधिकारी के जॉच आख्या में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या— 7027 0450 2599 में मेरा नाम मनीष यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मुझे सही नाम दिनेश कुमार पुत्र स्व० रामचन्द्र यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधि औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दिनेश कुमार पुत्र स्व० रामचन्द्र यादव,
निवासी— ग्राम ब्योहरा, बजहा यादव नगर,
पोस्ट टी०एस०एल० नैनी, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम हीर श्रीवास्तव (Heer Srivastava) पुत्री शैलेश श्रीवास्तव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०- 9485 1962 1852 में उसका नाम आस्था श्रीवास्तव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके

सही नाम हीर श्रीवास्तव (Heer Srivastava) पुत्री शैलेश श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रिया श्रीवास्तव पत्नी शैलेश श्रीवास्तव
पता—05, मील चौराहा तुलसीपुर
बलरामपुर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मेरा सही नाम राकेश कुमार गुप्ता पुत्र प्रताप नारायण गुप्ता है, जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख और पास पोर्ट में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या—5859 5196 2817 में मेरा नाम आर०के० गुप्ता पुत्र पी०एन० गुप्ता अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राकेश कुमार गुप्ता पुत्र प्रताप नारायण गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राकेश कुमार गुप्ता पुत्र प्रताप नारायण गुप्ता,
नि० 43/31ए, लूकरगंज, तहसील सदर,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सेरोफिना लकड़ा (SEROPHINA LAKRA) पुत्री अलाईस लकड़ा (ALOYSIUS LAKRA) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—6310 0259 6903 में मेरा नाम तारा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सेरोफिना लकड़ा (SEROPHINA LAKRA) पुत्री अलाईस लकड़ा (ALOYSIUS LAKRA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सेरोफिना लकड़ा पुत्री अलाईस लकड़ा,
सेन्ट मेरी कॉन्वेंट, 44-कैण्ट,
वाराणसी उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुरेश (SURESH) पुत्र पन्ना लाल यादव (PANNA LAL YADAV) है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख और तहसीलदार की सूचना में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 8220 7055 1128 में मेरा नाम जय यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुरेश (SURESH) पुत्र पन्ना लाल यादव (PANNA LAL YADAV) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुरेश पुत्र स्व० पन्ना लाल यादव,
168, बासदेवपुर (घोड़हा) हटिया,
वाराणसी (उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अमायरा फातिमा उस्मानी (AMAIRA FATIMA USMANI) पुत्री मोहम्मद आरिफ अली उस्मानी है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 9394 2095 4470 में उसका नाम फातिमा उस्मानी (FATIMA USMANI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अमायरा फातिमा उस्मानी (AMAIRA FATIMA USMANI) पुत्री मोहम्मद आरिफ अली उस्मानी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मोहम्मद आरिफ अली उस्मानी,
पुत्र मोहम्मद आसिम अली उस्मानी,
453/456 ए. नियर पम्पिंग स्टेशन रोड,
अहमदगंज दौलतगंज चौक पोस्ट चौक,
जिला लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सिद्धि बरनवाल है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०— 8049 5591 5069 में उसका नाम झिलमिल बरनवाल अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सिद्धि बरनवाल पुत्री कौशल बरनवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कौशल कुमार बरनवाल पुत्र रमेश चन्द बरनवाल,
7, राजीव नगर, सैदपुर, गाजीपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मोईजा आलम (Moiza Alam) पुत्री सैफ आलम खान है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 5357 3935 6044 में उसका नाम आईजा आलम अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही मोईजा आलम पुत्री सैफ आलम खान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सैफ आलम खान पुत्र मोहद आलम खान,
59/73 मालवीय नगर प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सृष्टि कश्यप (SRISHTI KASHYAP) पुत्री शिव सागर है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 6517 2904 6901 में उसका नाम श्रीती (SHRITI) अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सृष्टि कश्यप (SRISHTI KASHYAP) पुत्री शिव सागर के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है की उपयुक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है ।

शिव सागर पुत्र लालजी धुरिया,
51/3G/7B शिवकुटी तेलियरगंज,
प्रयागराज उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम महैर कुशवाहा पुत्री अरविन्द कुमार है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार सं० 2759 9446 6508 में उसका नाम कागा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम महैर कुशवाहा पुत्री अरविन्द कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अरविन्द कुमार पुत्र स्व० सुभाष चन्द्र
निवासी—नीवलपुर, थाना मरुदरवाजा
जिला पर्रुखाबाद, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अल्का विश्वकर्मा (ALKA VISHWAKARMA) पुत्री संतोष कुमार विश्वकर्मा (SANTOSH KUMAR VISHWAKARMA) है। जो उसके

शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—7738 4990 6241 में उसका नाम अल्का विश्वकर्मा (ALKA VISHWAKMA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अल्का विश्वकर्मा (ALKA VISHWAKARMA) पुत्री संतोष कुमार विश्वकर्मा (SANTOSH KUMAR VISHWAKARMA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रेनू देवी पत्नी संतोष कुमार विश्वकर्मा,
ग्राम बरगदवा खखरी बासी सिद्धार्थनगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ओजस्वी पटेल (OJASVI PATEL) पुत्र प्रमोद कुमार है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०— 9670 9095 8881 में उसका नाम ओजल पटेल अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ओजस्वी पटेल (OJASVI PATEL) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रमोद कुमार
इस्किल बुजुर्ग, जिला झाँसी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ब्रह्मजीत दुबे (BRAHMAJIT DUBEY) पुत्र बजरंग लाल दुबे हैं जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 3466 9748 5578 में मेरा नाम ब्रह्म जीत दुबे (BRAHM JIT DUBEY) अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ब्रह्मजीत दुबे (BRAHMAJIT DUBEY) पुत्र बजरंग लाल दुबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

ब्रह्मजीत दुबे पुत्र बजरंग लाल दुबे,
पता—मवैया, पोस्ट—सण्डवां, थाना—कोतवाली देहात,
तहसील सदर जनपद-मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम गोपाल कुमार पुत्र राजेश कुशवाहा है जो मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है परन्तु त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड नम्बर 9225 6012 0516 में मेरा नाम रविकुमार अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे गोपाल कुमार पुत्र राजेश कुशवाहा के नाम से ही जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकता स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

गोपाल कुमार पुत्र राजेश कुशवाहा,
बी० 33/44-7 सुन्दरपुर (बटुआपुरा),
जिला वाराणसी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० रंजना पुत्री विजयशंकर शर्मा है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या— 5206 0175 6650 में मेरा नाम रजना देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० रंजना पुत्री विजयशंकर शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कु० रंजना पुत्री विजयशंकर शर्मा,
ग्राम सिनहर दिक्षित, पो० भटौली,
जिला मीरजापुर, उ०प्र०

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शैलजा शुक्ला (SHALJA SHUKLA) पुत्री बलवन्त कुमार शुक्ला (BALWANT KUMAR SHUKLA) है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या— 8232 3973 9635 में मेरा नाम शैलजा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शैलजा शुक्ला (SHALJA SHUKLA) पुत्री बलवन्त कुमार शुक्ला (BALWANT KUMAR SHUKLA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शैलजा शुक्ला पुत्री बलवन्त कुमार शुक्ला,
चित्तभवन, इटावा, उ०प्र०।

NOTICE

It is hereby informed that my correct name is Aryan Dubey, son of Amit Kumar Dubey, as recorded in my educational documents. Due to an error, my name has been recorded as Raghavendra Dubey on my Aadhaar card- 9750 9419 2020 which is incorrect. In future I should be known and identified by my correct name, Aryan Dubey S/o Amit Kumar Dubey.

It is hereby certified that all legal formalities regarding the above context have been completed by me.

Aryan Dubey son of Amit Kumar Dubey,
Kurauna, Aurai, Bhadohi,
Uttar Pradesh.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स M/s Ganpati Ventures, KA-58, Kavi Nagarm Ghaziabad, UP-201002, की साझेदारी में M/s Dadri Warehousing Private Limited through Its Director Mrs. Anu Garg व Mr. Rakesh Kumar Bansal व Mrs.

Meetu Kindra व Mrs. Anjana Suneja जी साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से M/s Dadri Warehousing Private Limited through Its Director Mrs. Anu Garg व Mr. Rakesh Kumar Bansal व Mrs. Meetu Kindra व Mrs. Anjana Suneja साझीदारी फर्म से अपना हिसाब किताब ले व देकर अलग हो गये हैं। तथा Mr- Gaurav Garg, Mrs. Anjana Garg साझीदारी फर्म में सम्मिलित हो गयी है, वर्तमान में उक्त फर्म में Mr- Gaurav Garg व Mrs. Anjana Garg फर्म के साझीदार हैं। फर्म से अलग हुये साझेदारों का फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई भी लेनदेन तथा दायित्व शेष नहीं है।

Gaurav Garg
साझीदार

M/s Ganpati Ventures KA-58,
Kavi Nagarm Ghaziabad.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। कि मेरा सही नाम करिश्मा सिंह (KARISHMA SINGH) पुत्री दीपक कुमार सिंह है। जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 -7372 6636 0070 में मेरा नाम रोशनी गुप्ता अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम करिश्मा सिंह (KARISHMA SINGH) पुत्री दीपक कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है। कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

करिश्मा सिंह पुत्री दीपक कुमार सिंह,
वार्ड नं0-26 चकप्यार अली
पो0-सदर जौनपुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा व मेरी पत्नी का शुद्ध व सही नाम HRADESH KUMAR व मेरी पत्नी का नाम PREM LATA है, जो कि हम लोगों के आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के हाईस्कूल प्रमाण पत्र, सह अंक पत्र

अनुक्रमांक-23106014 में मेरी पत्नी का नाम REKHA PANDEY एवं मेरा नाम HIRDESH PANDEY अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकता स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हृदेश कुमार पुत्र रामशंकर,
निवासी-रेवां पोस्ट सन्दलपुर तहसील-सिकन्दरा,
जनपद-कानपुर देहात, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंशुमान सिंह (Anshuman Singh) पुत्र स्व० मुन्ना कुमार सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0- 8692 4639 8344 में उसका नाम And human singh अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंशुमान सिंह (Anshuman Singh) पुत्र स्व० मुन्ना कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

ज्योति सिंह पत्नी स्व० मुन्ना कुमार सिंह,
निवासी-ग्राम जगदीशपुर पोस्ट राजेपुर तहसील सदर,
जनपद जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कार्तिकेय सिंह पुत्र राजकरन यादव है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार पर कार्ड संख्या-3928 5010 4113 में उसका नाम ऋषभ सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य मे मेरे पुत्र को उसके सही नाम कार्तिकेय सिंह पुत्र राजकरन यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये ।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजकरन यादव पुत्र श्री रामऔतार यादव,
बक्टा खुर्द पोस्ट बिहरवां तह०-राजापुर,
जनपद— चित्रकूट, उ०प्र०।
हाल मुकाम —नई दुनिया बनकट,
तह० कर्वी जनपद चित्रकूट।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ब्यूटी चौबे पुत्री सतीश चौबे है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार मैंने अपना नाम ब्यूटी चौबे से बदलकर भार्गवी चौबे रख लिया है। भविष्य में मुझे भार्गवी चौबे पुत्री सतीश चौबे के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

ब्यूटी चौबे पुत्री श्री सतीश चौबे,
ग्राम—सोनबरसा चौबेपुर पोस्ट-हरदासपुर कला
थाना-दुल्लहपुर, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम उमरावती सिंह पत्नी स्व० गुलाब सिंह है, जो मेरे पति के पी०पी०ओ० नं०—POLICE-IA/1510/P-91660/2015, (सर्विस बुक), खतौनी, परिवार रजिस्टर एवं उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—8711 9871 2094 में मेरा नाम अमरावती सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम उमरावती सिंह पत्नी स्व० गुलाब सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

उमरावती सिंह, पत्नी स्व० गुलाब सिंह,
197B/112 बाई का बाग, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंजली पुत्री रामसकल यादव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या—9859 3313 6454 में मेरा नाम अंजनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंजली पुत्री रामसकल यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अंजली पुत्री रामसकल यादव,
निवासी—बकरुआ, एकौना,
देवरिया, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मीनाक्षी राय पुत्री विजय बहादुर राय है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 7154 4652 1735 में मेरा नाम सुधा राय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मीनाक्षी राय (MEENAKSHI RAI) पुत्री विजय बहादुर राय पत्नी गोविंद नारायण राय के नाम से जाना एवं पहचाना जाए।

सुधा राय पत्नी गोविंद नारायण राय,
3 पार्क रोड, गोलघर, सिविल लाईन्स गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम विमलेश चौरसिया है। जो उनके

आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल प्रमाण पत्र सह अंक पत्र अनुक्रमांक 23243336/2023 में मेरी माता का नाम हेमलता चौरसिया अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकनामों स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जान्हवी चौरसिया,
पुत्री स्व० माता प्रसाद चौरसिया,
मुंशी पुरा काली चौरा,
मऊ नाथ भंजन, मऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम साक्षी पटेल (Sakshi Patel) पुत्री संजय पटेल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड स० 9072 1502 8471 में उसका नाम Shakchi अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम साक्षी पटेल (Sakshi Patel) पुत्री संजय पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मीरा देवी पत्नी संजय कुमार,
असवारी कुअर, वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सलोनी (Saloni) पुत्री जगदीश है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 8494 7098 2047 में मेरा नाम सुशीला अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सलोनी पुत्री जगदीश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सलोनी पुत्री जगदीश,
ग्राम बसोहनी पो० कोरो मंझनपुर,
कौशाम्बी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रेया सिंह (Shreya Singh) पुत्री राजेश सिंह है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड स०- 4835 7119 1790 में उसका नाम सरया मल्ल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रेया सिंह पुत्री राजेश सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पूजा देवी पत्नी राजेश सिंह,
सिंहपुर पिपरैचा कुशीनगर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम फूलचन्द्र पुत्र गया प्रसाद निवासी-दतौरा, बेरौव, बाँदा उत्तर प्रदेश है जो कि मेरे निर्वाचन कार्ड खतौनी, परिवार रजिस्टर की नकल में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या- 9556 8985 6871 में मेरा नाम छोटू हो गया है, जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरा सही नाम फूलचन्द्र पुत्र गया प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

फूलचन्द्र पुत्र गया प्रसाद
दतौरा, बेरौव, बाँदा, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम फूल चन्द्र मोदनवाल (Phool Chandra Modanwal) पुत्र राम नरेश मोदनवाल है, जो मेरे बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर की नकल, खतौनी, तथा गाड़ी की RC में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-8855 2812 1180 में मेरा नाम फूल चन्द्र मोदनवाल (Phool Chander Modanwal) हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम फूल चन्द्र मोदनवाल (Phool Chandra Modanwal) पुत्र राम नरेश मोदनवाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

फूल चन्द्र मोदनवाल पुत्र राम नरेश मोदनवाल,
मन्सूराबाद सोरांव, प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम के एम सीमा कुमारी (KM SEEMA KUMARI) पुत्री मनी राम (MANI RAM) है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-6897 0242 8822 में मेरा नाम उमा अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम के एम सीमा कुमारी (KM SEEMA KUMARI) पुत्री मनी राम (MANI RAM) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकाये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

के एम सीमा कुमारी पुत्री मनी राम,
निवासी-रायपुर अत्ता नगर पो० बारौ,
जिला प्रतापगढ़ उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अन्शु ओझा (ANSHU OJHA) पुत्री उमापति

ओझा है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-5312 2540 4136 में मेरा नाम कुमारी पूजा (KUMARI PUJA) अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अन्शु ओझा (ANSHU OJHA) पुत्री उमापति ओझा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अन्शु ओझा पुत्री उमापति ओझा,
ग्राम बाठा, पोस्ट कनुवान,
जिला गाजीपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स अमोघ एनर्जी स्टेशन पता- गवां सम्भल रोड, गवां जिला सम्भल, उ०प्र० नामक फर्म में दो साझीदार श्री अभिषेक यादव पुत्र श्री राम अरज यादव निवासी- सुल्तानपुर सिटी, जिला-सुल्तानपुर एवं श्रीमती याशिका अग्रवाल पत्नी श्री नितिन अग्रवाल निवासिनी-मं०सं०-69 ग्रीश चौक गवां सम्भल जिला संभल, उ०प्र० है। उक्त फर्म में से दिनांक 17 अप्रैल, 2026 को श्री अभिषेक यादव पुत्र श्री राम अरज यादव निवासी- सुल्तानपुर सिटी सुल्तानपुर रिटायर हो गये थे। अतः फर्म की शेष साझीदार श्रीमती याशिका अग्रवाल रह गयी है।

याशिका अग्रवाल, पत्नी श्री नितिन अग्रवाल,
मेसर्स अमोघ एनर्जी स्टेशन,
गवां सम्भल रोड, गवां जिला सम्भल, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारणा को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंश यादव पुत्र राहुल यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाणपत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 2165 6068 1973 में उसका नाम अभिषेक अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंश यादव पुत्र राहुल यादव के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राहुल यादव पुत्र राम बाबू
कमलपुर, कमलपुर, कानपुर देहात, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम निहाल कुमार (Nihal Kumar) पुत्र स्व० राजेन्द्र कुमार है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-4806 4172 6039 में उसका नाम नेहाल (Nehal) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम निहाल कुमार (Nihal Kumar) पुत्र स्व० राजेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सविता पत्नी स्व० राजेन्द्र कुमार,
70सी/11 के/72 छोटा बघाड़ा, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मुस्कान खातून (MUSKAN KHATOON) पत्नी शकील अहमद हैं, जो मेरे निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मेरे पति के बैंक पासबुक एवं उपजिलाधिकारी की जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या -6664 1132 7821 में मेरा नाम मुसकिना खातून अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मुस्कान खातून (MUSKAN KHATOON) पत्नी शकील अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मुस्कान खातून पत्नी शकील अहमद,
461 देवरिया उर्फ शामपुर,
नवलपुर देवरिया उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रुद्र शर्मा पुत्र अनिल कुमार है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 7325 4851 3935 में उसका नाम अनिल कुमार हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रुद्र शर्मा पुत्र अनिल कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अनिल कुमार पुत्र रामचन्द्र,
ग्राम मवैया पहलवान पोस्ट बसहरा,
उपरहार, प्रयागराज, शंकरगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनुभव सिंह पुत्र शैलेन्द्र कुमार सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 3245 5529 7703 में उसका नाम दीपांशु सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनुभव सिंह पुत्र शैलेन्द्र कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

शैलेन्द्र कुमार सिंह
ग्राम-बिसानी, पोस्ट-टांडाडीह,
बागपुर, तरवा, आजमगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सावित्री देवी पत्नी ओम प्रकाश है, जो मेरे निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, पैन कार्ड, गैस कनेक्शन व उप जिलाधिकारी जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं- 8128 7003 5017 में मेरा नाम रानी देवी पत्नी ओम प्रकाश अंकित हो गया है, जो

कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सावित्री देवी पत्नी ओम प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सावित्री देवी पत्नी ओम प्रकाश
ग्राम आलमपुर पोस्ट तिलगोड़ी तहसील चायल,
जनपद कौशाम्बी उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ANKUR RAJ S/o POORAN SINGH है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या— 3352 2465 2192 में उसका नाम AYUSH YADAV अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ANKUR RAJ S/o POORAN SINGH के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

POORAN SINGH
S/o SHRI SHIVRAJ SINGH,
R/o Ballampur Post- Achalpur,
District-Mainpuri, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष जायसवाल पुत्र अरुण कुमार जायसवाल है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या—7285 2651 6209 में उसका नाम अक्षित जायसवाल अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष जायसवाल पुत्र अरुण कुमार जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अरुण कुमार जायसवाल,
161/33 काशीराज नगर, कटघर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वैभव गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता है, जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे एल.आई.सी. पॉलिसी नम्बर 312613506 में मेरा नाम विक्की गुप्ता अंकित हो गया है, जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम वैभव गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता के नाम से जाना और पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

वैभव गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता,
33 ख अकबरपुर, सल्लाहपुर,
के०वी०, मनौरी के सामने प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का सही नाम सानवी श्रीवास्तव (SANVI SRIVASTAVA) पुत्री निर्मल कुमार श्रीवास्तव (NIRMAL KUMAR SRIVASTAVA) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख और आधार कार्ड में अंकित है। मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम सानवी श्रीवास्तव से बदलकर ह्रदांशी श्रीवास्तव (HRIDANSHI SRIVASTAVA) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्री को ह्रदांशी श्रीवास्तव (HRIDANSHI SRIVASTAVA) पुत्री निर्मल कुमार श्रीवास्तव (NIRMAL KUMAR SRIVASTAVA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नीतिका श्रीवास्तव,
पत्नी निर्मल कुमार श्रीवास्तव,
142, रोशन बाग, खुल्दाबाद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अवि श्रीवास्तव (AVI SRIVASTAVA) पुत्र निर्मल कुमार श्रीवास्तव (NIRMAL KUMAR SRIVASTAVA) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख और आधार कार्ड में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम अवि श्रीवास्तव से बदलकर आन्वित श्रीवास्तव (AANVIT SRIVASTAVA) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को आन्वित श्रीवास्तव (AANVIT SRIVASTAVA) पुत्र निर्मल कुमार श्रीवास्तव (NIRMAL KUMAR SRIVASTAVA) के नाम से जाना व पहचाना जाये

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नीतिका श्रीवास्तव
पत्नी निर्मल कुमार श्रीवास्तव,
142, रोशन बाग, खुल्दाबाद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s BHARAT COLD STORAGE, Plot No- 77, Ratan Lal Nagar, Kanpur Nagar-208022 का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 17 अगस्त, 2007 को पंजीकरण सं० K-8573 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 15 नवम्बर, 2006 के अनुसार फर्म में श्री नारायण दास, श्री सत्यदेव यादव, श्री मनोहर लाल, श्री विनोद कुमार यादव साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को फर्म की साझीदारी में श्री सन्तोष यादव व श्री जतिन रामचन्दानी को शामिल किया गया है तथा फर्म में श्री नारायण दास, श्री सत्यदेव

यादव, श्री मनोहर लाल, श्री विनोद कुमार यादव, श्री संतोष यादव व श्री जतिन रामचन्दानी साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 17 अप्रैल, 2026 के अनुसार फर्म की भागीदारी में श्री यादवेन्द्र कुमार, श्री योगेन्द्र कुमार को शामिल किया गया है तथा साझीदार श्री सत्यदेव यादव वृद्धावस्था के कारण स्वइच्छा से पृथक हो गये है तथा पूर्व साझीदार श्री नारायण दास का स्वर्गवास दिनांक 09 अप्रैल, 2026 को हो गया है। वर्तमान में फर्म में श्री विनोद यादव, श्री सन्तोष यादव, श्री यादवेन्द्र कुमार, श्री योगेन्द्र कुमार, श्री मनोहर लाल रामचन्दानी व श्री जतिन रामचन्दानी साझीदार है।

मनोहर लाल,
पार्टनर,
M/s BHARAT COLD STORAGE,
Plot No-77, Ratan Lal Nagar, Kanpur Nagar.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम यशार्थ दुबे पुत्र अजय कुमार दुबे है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०- 7863 4483 7054 में उसका नाम स्वरूप दुबे अंकित है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम यशार्थ दुबे पुत्र अजय कुमार दुबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अजय कुमार दुबे पुत्र अरुण कुमार दुबे,
551क/ओ-1200, साकेतपुरी, ओम नगर,
आलमबाग, तहसील व जिला लखनऊ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम अभिषेक सिंह यादव (ABHISHEK SINGH YADAV) पुत्र अखिलेश विष्णु यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-7172 5869 7155 में उसका नाम सिद्धार्थ (SIDDHARTH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। जिलाधिकारी कोटा, राजस्थान के

गोदनामा आदेश सं0-85 दिनांक-15 अप्रैल, 2025 के अनुसार मेरे दत्तक पुत्र का सही नाम अभिषेक सिंह यादव (ABHISHEK SINGH YADAV) हैं। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिषेक सिंह यादव (ABHISHEK SINGH YADAV) पुत्र अखिलेश विष्णु यादव, माँ रेखा यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी

अखिलेश विष्णु यादव,
113-सी, हनुमंत विहार, नौबस्ता,
जनपद कानपुर नगर।

NOTICE

It is informed to the general public that the correct name of my mother is NAZMA BEGUM which is duly recorded in her Aadhar Card, Pan Card Due to a clerical error, her name has been incorrectly recorded as NAZMA KHAN in my High School Certificate Mark sheet Roll No-5165665/2003 & Intermediate certificate and Mark sheet Roll No-5648350/2005. It is certified that all legal formalities regarding this correction have been completed by me.

TARANNUM KHAN,
D/o M.A. Khan,
Address: 153/10, Rajroopur,
Pachim Vihar Colony,
Subedarganj, Prayagraj, U.P.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स-उदय कोल्ड स्टोरेज, ग्राम व पोस्ट-अटारी, तहसील-मलिहाबाद, जिला-लखनऊ उ0प्र0- 226104 रजिस्ट्रेशन सं0 LUC/0009013 का पंजीकरण दिनांक 05 अप्रैल, 2021 को कराया गया था जिसमें कुंवर शैलेन्द्रवीर सिंह चौहान प्रथम, श्रीमती ममता सिंह चौहान द्वितीय, कुंवर

यशवीर सिंह चौहान तृतीय एवं कुंवर जयवीर सिंह चौहान चतुर्थ साझेदार थे। उक्त फर्म के प्रथम साझेदार कुंवर शैलेन्द्रवीर सिंह चौहान का निधन दिनांक 25 फरवरी, 2026 को हो गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में श्रीमती ममता सिंह चौहान प्रथम, कुंवर यशवीर सिंह चौहान द्वितीय एवं जयवीर सिंह चौहान तृतीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

कुंवर यशवीर सिंह चौहान,
साझेदार,
मेसर्स-उदय कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम व पोस्ट-अटारी, तहसील-मलिहाबाद,
जिला-लखनऊ उ0प्र0।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स-नैमिष इन्टरप्राइजेज, रामनगर, अपोजिट इन्कम टैक्स आफिस जिला-सीतापुर 261001 की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है। फर्म की साझेदारी में अभी तक 03 साझेदार श्रीमती मीरा साहू, श्री सुनील साहू एवं श्री संतोष कुमार साझेदार थे, जिसमें दिनांक 29 मई, 2026 फर्म के प्रथम साझेदार श्री संतोष कुमार फर्म की साझेदारी से स्वेच्छापूर्वक अलग हो गये हैं। वर्तमान में क्रमशः श्रीमती मीरा साहू एवं श्री सुनील साहू फर्म में साझेदार हैं।

श्रीमती मीरा साहू
साझेदार,
नैमिष इन्टरप्राइजेज,
जिला-सीतापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s AADI SHAKTI ASSOCIATES, H. No. H-2/51, Krishna Puram, Kanpur. U.P. 208007 की साझेदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 29 नवम्बर, 2025 को पंजीकरण सं0 KAP/0023306 पर हुआ था। फर्म की

भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के अनुसार फर्म में श्रीमती माया मिश्रा, श्रीमती रचना दुबे व श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दि० 01 अप्रैल, 2026 के अनुसार साझीदारी में श्री अंकुर श्रीवास्तव पुत्र श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव निवासी म०नं० 734/102, रामपुरम् वार्ड नं०-53, कानपुर, उ०प्र० 208013 को शामिल कर लिया गया है। अब फर्म में श्रीमती माया मिश्रा, श्रीमती रचना दुबे, श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय व श्री अंकुर पाण्डेय साझीदार हैं।

माया मिश्रा,

पार्टनर,

M/s AADI SHAKTI ASSOCIATES,

H.No. H-2/51, Krishna Puram, Kanpur. U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s RS Liquor Ghaziabad, Plot No- 25-26-27, Khasra No-599, ME, Village Basantpur Sainthly, NH-58, Near BPCL Pump, Murad Nagar, Ghaziabad-201206 की साझीदारीनामा दिनांक: 01 जुलाई, 2020 के अनुसार श्री सौरभ गुप्ता एवं श्री सोनू गुप्ता साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को श्री धनेश चन्द्र गुप्ता फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए हैं एवं श्री सौरभ गुप्ता अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के अनुसार श्री सोनू गुप्ता एवं श्री धनेश चन्द्र गुप्ता साझीदार हैं।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सोनू गुप्ता,

साझीदार,

Plot No- 25-26-27, Khasra No-599,

ME, Village Basantpur Sainthly,

NH-58, Near BPCL Pump, Murad Nagar,

Ghaziabad, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s EMS Realtors, C-88, IInd Floor, RDC, Raj Nagar,

Ghaziabad-201001 को साझीदारीनामा दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के अनुसार श्री आशीष तोमर, श्री संजीव तोमर एवं श्रीमती रिता कपूर साझीदार थे। दिनांक 18 मार्च, 2023 को श्री गजेन्द्र परिहार फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए एवं श्रीमती रिता कपूर अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गई तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को श्री ऋषभ कपूर एवं श्रीमती रिता कपूर फर्म की साझीदारी में पुनः सम्मिलित हुए। वर्तमान में संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्री आशीष तोमर, श्री संजीव तोमर, श्री गजेन्द्र परिहार, श्री ऋषभ कपूर एवं श्रीमती रिता कपूर साझीदार हैं तथा दिनांक: 01 अप्रैल, 2026 के अनुसार फर्म का पता परिवर्तन कर "R-1/8, Raj Nagar, Ghaziabad-201001 श्री आशीष तोमर का निवास स्थान R-5/42, Raj Nagar, Ghaziabad श्री संजीव तोमर का निवास स्थान E-7,702, Pacific Golf Estate, Sahastradhara Road, Kulhan Karanpur, Kandoli, Dehradun (Uttarakhand)- 248001 एवं श्री गजेन्द्र परिहार का निवास स्थान B-16 Block-B, Sector-93B, Noida, Distt-G.B. Nagar हो गया है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

आशीष तोमर, साझीदार,

M/s EMS Realtors,

R-1/8 Raj Nagar, Ghaziabad.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s UNIVERSAL ADDITIVES पता- Regus, 16th Floor, Tower B, World Trade Tower, Sector 16, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301, India पंजीकरण संख्या-GBN/0023596 की फर्म साझेदारी दि० 25 नवम्बर, 2022 के अनुसार साझीदार 1- PARINDU CHANDRAKANT MEHTA 2- BANSI PARINDU MEHTA 3- JAHAN DHARMESH ASHER थे। फर्म की एडमिशन कम रिटायरमेंट पार्टनरशिप डीड दि० 04 जून, 2026 प्रभावी दि० 01 अप्रैल, 2026 के अनुसार

फर्म साझीदार— JAHAN DHARMESH ASHER
सेवानिवृत्त हुये है व नवीन साझीदार ARYA PARINDU
MEHTA सम्मिलित हुयी है। फर्म में वर्तमान साझीदार
1- PARINDU CHANDRAKANT MEHTA,

2- BANSI PARINDU MEHTA 3-ARYA PARINDU
MEHTA, है।

PARINDU CHANDRAKANT MEHTA,
साझीदार,
M/s UNIVERSAL ADDITIVES

नगर, प्रतापगढ़ एवं सना उल्ला पुत्र स्व० मो० समी
निवासी आजाद नगर, प्रतापगढ़ साझीदार थे। वर्तमान में
मो० सईद दिनांक 23 फरवरी, 2026 को फर्म से रिटायर
हो गये है तथा मो० उमर पुत्र मो० फारुक, निवासी
आजाद नगर, प्रतापगढ़ दिनांक 23 फरवरी, 2026 को फर्म
में सम्मिलित हुए है।

मो० फारुक,
साझेदार,
मे० मो० उस्मान
आजाद नगर, प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म
मेसर्स साई शक्ति कंस्ट्रक्शन ग्राम-झुंगवा, पो०- कुशीनगर
जनपद कुशीनगर उ०प्र० नामक फर्म में साझेदारी डीड
दिनांक 23 जुलाई, 2025 से श्री राकेश पाण्डेय एवं
श्री विनय शंकर जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म
कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
गोरखपुर में पंजीकरण सं० G-3484 पर पंजीकृत है। यह
की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2026
से श्री विनय शंकर जी उक्त फर्म से अपना हक और
हिस्सा ले-कर रिटायर्ड हो चुके है, तथा साझेदारी डीड
दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से श्रीमती अंजली पत्नी
श्री विनय शंकर जी उक्त फर्म में द्वितीय साझेदार के रूप
में शामिल हो चुकी है। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री राकेश
पाण्डेय एवं श्रीमती अंजली जी है। उक्त फर्म में किसी का
कोई लेन देन बकाया नहीं है।

राकेश पाण्डेय,
साझेदार,
मेसर्स साई शक्ति कंस्ट्रक्शन,
ग्राम-झुंगवा, पो०-कुशीनगर,
जनपद कुशीनगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म
मे० मो० उस्मान आजाद नगर, प्रतापगढ़ दिनांक
08 दिसम्बर, 2021 को प्रारम्भ की गयी थी। फर्म में
मो० फारुक पुत्र सना उल्ला, निवासी— आजाद नगर,
प्रतापगढ़, मो० सईद पुत्र सना उल्ला, निवासी— आजाद

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म
मे० बरौली किसान सेवा केन्द्र ग्राम पो० बरौली जिला
मथुरा में स्थित है एजी-15086 उपरोक्त फर्म में साझेदार
श्रीमती कमलेश अग्रवाल पत्नी श्री गणेश चन्द्र, यथार्थ
चौधरी पुत्र श्री गिरेन्द्र चौधरी सभी साझेदारों ने अपनी
फर्म दिनांक 16 मई, 2023 को संचालन की थी आज
दिनांक 22 मई, 2026 को विघटित कर दी गयी है।

यथार्थ चौधरी,
साझेदार
मे० बरौली किसान सेवा केन्द्र,
ग्राम पो० बरौली जिला मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म
मदन गोपाल जगन्नाथ प्रसाद, 1350 नई बस्ती,
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद-205135 का पत्रावली
संख्या-FIR-0023264 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक
01.04.2024 से श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, श्री प्रवीन बंसल,
श्रीमती पुष्पा देवी तथा श्रीमती शालिनी बंसल पार्टनर थे।
जिसमें दिनांक 01.04.2024 से श्री कृष्णा बंसल पुत्र श्री
प्रवीन बंसल, निवासी 210/114 ए नीरव निकुन्ज
कॉलोनी, भावना स्टेट, नीयर भावना मॉल, जिला आगरा
को फर्म की भागीदारी में शामिल कर लिया गया है व
संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल 2026 के
अनुसार श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, श्री प्रवीन बंसल, श्रीमती

पुष्पा देवी, श्रीमती शालिनी बंसल तथा श्री कृष्णा बंसल साझेदार की हैसियत से रहेंगे। संशोधित डीड के अनुसार वर्तमान में अब 5 ही पार्टनर हिस्सेदार रहेंगे।

प्रवीन बंसल

साझेदार

मे0 मदन गोपाल जगन्नाथ प्रसाद

1350 नई बस्ती, शिकोहाबाद

फिरोजाबाद-205135

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 माधव एसोसिएट्स, 168/11 बट्टी नगर, चौकी बागबहादुर सिंह, मथुरा पत्रावली संख्या-14430 पर पंजीकृत है। फर्म में श्रीमती बीना चतुर्वेदी, श्री नवीन चतुर्वेदी, श्रीमती इन्द्रा अग्रवाल, श्री अंशुल अग्रवाल एण्ड संस, श्री प्रवीन चतुर्वेदी, श्रीमती अंजली अग्रवाल, श्रीमती रंजना अग्रवाल, श्री सोनल अग्रवाल एण्ड संस एवं श्री कृष्णदयाल अग्रवाल पार्टनर थे। संशोधित साझेदारी डीड के अनुसार दिनांक 11.04.2022 को फर्म की सातवीं साझेदार श्रीमती रंजना अग्रवाल पत्नी श्री अजय अग्रवाल, निवासी-4 बृज नगर, बृज एन्कलेव, मथुरा तथा दिनांक 07.02.2023 को फर्म की तृतीय साझेदार श्रीमती इन्द्रा अग्रवाल पत्नी स्व० जगदीश प्रसाद अग्रवाल निवासी-4 बृज एन्कलेव, बृज नगर, मथुरा की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 31.03.2026 को श्री राजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद अग्रवाल, निवासी 602 पॉकेट-5 मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली तथा श्री अजय अग्रवाल पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद अग्रवाल, निवासी-4, बृज एन्कलेव, बृजनगर, मथुरा को फर्म में सम्मिलित कर लिया गया है। दिनांक 01.04.2026 से फर्म के साझेदार श्री राजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद अग्रवाल, निवासी-602, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली मे0 सोनल अग्रवाल एच0यू0एफ0 पुत्र श्री के0 डी0 अग्रवाल निवासी-प्लॉट नं0-72 सै0-7, श्री राधापुरम, एस्टेट मथुरा, मे0 अंशुल अग्रवाल एच0यू0एफ0 पुत्र श्री के0 डी0 अग्रवाल, निवासी-प्लॉट नं0-75 सै0-7, श्री राधापुरम एस्टेट, मथुरा, उक्त फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से हट गये हैं। दिनांक 01.

04.2026 को श्री कुनाल अग्रवाल पुत्र श्री के0 डी0 अग्रवाल निवासी-प्लॉट नं0-77 सै0-7, श्री राधापुरम एस्टेट मथुरा, श्री अंशुल अग्रवाल पुत्र श्री के0 डी0 अग्रवाल निवासी-प्लॉट नं0-75 सै0-7, श्री राधापुरम एस्टेट मथुरा, श्री सोनल अग्रवाल पुत्र श्री के0 डी0 अग्रवाल निवासी-प्लॉट नं0-72 सै0-7, श्री राधापुरम एस्टेट, मथुरा को उक्त फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01.04.2026 के अनुसार अब 07 पार्टनर 1-श्री प्रवीन चतुर्वेदी, 2-श्री नवीन चतुर्वेदी, 3-श्री अंशुल अग्रवाल, 4-श्रीमती बीना चतुर्वेदी, 5-श्री सोनल अग्रवाल, 6-श्री कृष्ण दयाल अग्रवाल तथा 7-श्री कुनाल अग्रवाल हिस्सेदार रहेंगे।

प्रवीन चतुर्वेदी,

साझेदार,

मेसर्स माधव एसोसिएट्स,

168/11 बट्टी नगर, चौकी,

बागबहादुर सिंह, मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अमर बहादुर सिंह एण्ड अदर्स ग्राम-करोमा, पोस्ट-हरहुआ, जनपद-वाराणसी, उत्तर प्रदेश नामक फर्म की पार्टनरशिप डीड दिनांक 17.11.2020 को बनाई गई थी। जिसका पंजीकरण पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या V-13587 पर दिनांक 05.02.2021 को कराया गया। फर्म में श्री अमर बहादुर सिंह व दिनेश कुमार सिंह पार्टनर थे। दिनांक 28.04.2021 को अमर बहादुर सिंह फर्म से अलग हो गये तत्पश्चात् दिनांक 01.05.2021 को अमर बहादुर सिंह की मृत्यु हो गई। दिनांक 28.04.2021 को सतीश कुमार सिंह पार्टनर के रूप में फर्म में सम्मिलित किये गये। वर्तमान में दिनेश कुमार सिंह और सतीश कुमार सिंह फर्म में साझेदार हैं।

दिनेश कुमार सिंह,

साझेदार।